(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] आठवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 2

बुधवार..

दिनांक 20 मार्च, 1985

विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, कार्यकारी अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान

नव निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष : बाकी के सदस्य अब शपथ ग्रहण करेंगे।

श्री सचिव : श्री जगन्नाथ पहाड़िया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : शपथ हिन्दी।

श्री भंवरलाल शर्मा : हम तो समझते थे कि आप मुख्य मन्त्री की शपथ लेंगे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (वैर) : इन्तजार करो, वह भी आ जायेगा।

श्री सचिव : श्री देवी सिंह भाटी।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह शेखावत।

(अनुपस्थित)

श्री मोटाराम।

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष का निर्वाचन प्रस्ताव

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हीरालाल देवपुरा, सदस्य, विधान सभा, विभाजन संख्या 194 को, राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री विजेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक): काहे का पाइन्ट आफ आर्डर?

श्री विजेन्द्रपाल सिंह : आप सुनिए।

इस हाउस की परम्परा रही है कि अध्यक्ष महोदय निष्पक्ष हों और किसी पार्टी के नहीं हों। दल बदल विधेयक के कारण वे पार्टी छोड़ नहीं सकते, इसलिये मैं आपको निवेदन करता हूं कि अब की निर्दलीय को आप अध्यक्ष बनायें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं तो कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन से प्रस्ताव का समर्थन किया है? विजेन्द्रसिंह जी ने किया है, उसका किया है क्या आपने?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव हाउस के सामने एक ही है, जो नेता महोदय ने प्रस्तुत किया है।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : पाइंट आफ आर्डर पर अभी कोई रूलिंग नहीं हुई है। अभी रूलिंग देनी है।

श्री हीरालाल देवपुरा का अध्यक्ष पद पर निर्वाचन

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव औपचारिक रूप से प्रस्तावक द्वारा और समर्थक द्वारा सदन के समक्ष रखा गया है। अन्य कोई प्रस्ताव नहीं होने के कारण मैं घोषणा करता हूं कि माननीय श्री हीरालाल देवपुरा निर्विरोध सदन के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं।

(11·07 बजे)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

बधाई एवं शुभकामनाएं

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी ओर से और सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको हार्दिक बधाई देने में प्रसन्नता है। महोदय, आपका अपना एक व्यक्तित्व है और आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा हमारे ऊपर प्रभाव रखते हैं। आपने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया। उसके बाद से निरंतर इस प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में अपना एक अमूल्य स्थान बनाया है। उस स्थान के कारण ही आज आप इस गरिमामय स्थान के ऊपर निर्वाचित हुए हैं। मैं यह आकांक्षा करता हूं कि आप सफल हों और यशस्वी हों और इस सदन का निरन्तर मार्ग दर्शन करते रहें। हम सबको आपका सहयोग मिलेगा और हमारा सहयोग आपको मिलेगा। हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि प्रत्येक स्थिति में आपका आदेश हमारे लिये सर्वोपरि होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार फिर मैं स्वागत करते हुए बधाई देता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके चुनाव पर मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से बधाई देता हूं। प्रजातन्त्र में आपका यह स्थान बहुत ही गरिमापूर्ण है। विशेषकर, जो विपक्ष है उसके हितों का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। जिस प्रकार का आपका स्वभाव रहा है, हमको विश्वास है कि

Page No.3

3

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आप विरोधी पक्ष के हितों की रक्षा सदैव करेंगे। यद्यपि सत्तारूढ़ दल के लोग कभी भी यह चाहेंगे कि विपक्ष के साथ न्याय न हो, उस स्थिति में आपके सामने भी बड़ी एक कठिन परीक्षा का समय आयेगा। लेकिन, जैसा मैंने निवेदन किया, आप इसी प्रक्रिया में से निकले हैं, सारे ही अनुभव आपने पक्ष और विपक्ष के लिए हैं, विपक्ष के लोगों की क्या कठिनाई होती है, उनको किस तरह से उनके कर्त्तव्य निर्वहन में आपका संरक्षण चाहिये, यह सब आपको जानकारी है।

आपकी निष्पक्षता में हमें विश्वास है। इस विश्वास को आप अपने कर्त्तव्य के द्वारा, आचरण के द्वारा प्रमाणित करेंगे, यह मुझे विश्वास है।

आपको इस पद पर चुने जाने के लिये अपनी ओर से और अपने दल की ओर से पुनः आपको बधाई देता हूं।

धन्यवाद।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) : अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय प्रजातन्त्र के राजस्थान के सर्वोच्च आसन पर बैठने के उपलक्ष्य में आपको मेरी ओर मेरे दल की ओर से बहुत-बहुत बधाई प्रेषित करती हूं और यह उम्मीद करती हूं कि जिस सौम्यता, शालीनता और धैर्य से इतने वर्ष आपने राजनैतिक जीवन में बिताये हैं, उसी सौम्यता और धीरज के साथ आप इस आसन के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भी पूरा ध्यान रखेंगे।

मैं वैसे निवेदन करना चाहूंगी इस मौके पर कि आपने ऐसी नाजुक घड़ियों में इस आसन को सम्भाला है कि हो सकता है, कभी इस तरह की परेशानी भी आपको आ जाय, लेकिन यह सर्वोच्च आसन है; सबसे बड़े गरिमामय आसन पर आप पहुंचे हैं। इसलिये मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि आप पूरा ध्यान रखेंगे इस गरिमामय पद का। विपक्ष और पक्ष में सम्पूर्ण तरीके से सन्तुलन बनाये रखेंगे। जो गौरवमयी इस सदन की परम्परा रही है और इस आसन की भी रही है उससे भी बढ़ करके आप इस पद पर रहते हुए अपनी रूलिंग, अपना कार्य, कर्तव्य, यह सब करेंगे।

इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ पुनः मैं मेरी ओर मेरे दल की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई पेश करती हूं।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : मोअज्जिज सदरे मोहतरम, मैं आपको इस मौके पर, जिसके लिये आप सदर चुने गये हैं, मुबारकबाद पेश करता हूं। यह सदन इस बात का प्रतीक है कि आप सबके दिलों में और दिमाग में बेदाग हैसियत रखने वाले सदर हैं। कांग्रेस (आई) इस पर गर्व तो कर सकती है लेकिन यह पूरा हाउस इस बात की खुशी महसूस करता है कि आप जैसी शख्सियत को सदर बना करके हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि राजस्थान के तमाम अवाम की फलाह की बहबूदी के कानून बनाने में आप अपनी जहमियत का इस्तेमाल करेंगे, अक्लियत और तमाम बैकवर्ड लोगों की फलाह और बहबूदी के लिये कानून बनाने में मदद फरमायेंगे।

जय हिन्द।

श्री मानिक चन्द सुराणा (लूणकरणसर): अध्यक्ष जी, मैं मेरी ओर से और जनता पार्टी की ओर से आपके अध्यक्ष चुने जाने के अवसर पर आपको बधाई प्रेषित करता हूं। यह मौका जो आपको मिला है, यह सही है कि आप कार्यपालिका से अलग विधायिका के अध्यक्ष हो गये हैं। विधायी कार्य के लिये एक संवैधानिक पद को अब आप होल्ड कर रहे हैं। संविधान में अध्यक्ष के चुने जाने के जो प्रावधान हैं और जो मंशा है, आप उसके हैड होने के नाते आज सरकार के जो तीन अंग हैं—एक्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, उनमें से एक के अध्यक्ष हो गये हैं। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि इस पद पर आपकी जिम्मेदारी संविधान की रक्षा करने की है। संविधान के तहत जो लोकतन्त्र है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिये गये हैं अनेक मुद्दों पर, कई बार मौके आये हैं जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का टकराव हुआ है लेकिन यहां पर एक सम्मिश्रण है। कार्यपालिका यहां है और न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिये गये हैं अनेक मुद्दों पर, लोकतन्त्र की रक्षा के लिये, उन निर्णयों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी भी मोटे तौर पर आपकी है। मैं निवेदन करूंगा कि प्रशासनिक न्याय के सिद्धान्तों में बड़ा परिवर्तन उच्चतम न्यायालय ने कर दिया है। प्रिन्सिपल आफ नेचुरल जस्टिस, सामान्य न्याय का सिद्धान्त, बिना सुनवाई के किसी के विपरीत निर्णय नहीं दिये जायें, उस सिद्धान्त की, मैं समझता हूं कि आपके कार्यकाल में पूर्व के कार्यकालों से भी अधिक आप इस प्रिन्सिपल आफ नेचुरल जस्टिस की रक्षा करेंगे। यहां पर कार्यपालिका के नियंत्रण का काम है। यह विधान सभा तभी ताकतवर होगी; तभी सक्षम होगी जब कि कार्यपालिका पर सम्पूर्ण नियंत्रण इस विधान सभा की कार्यवाही के माध्यम से होगा। मैं समझता हूं कि इस कार्य में मुख्य मंत्री जी भी आपके सहायक होंगे और पूरे विपक्ष में से हम सब लोग भी इस बात की पूरी देखरेख करेंगे कि कार्यपालिका की सारी कार्यवाहियों का नियंत्रण इस विधान सभा के द्वारा, जो सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न विधान सभा है, इसके माध्यम से किया जाय।

मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप उदारवादी परम्पराओं को आगे बढ़ायेंगे, लोकतन्त्र की उदारवादी परम्पराओं को आगे बढ़ायेंगे और उसमें प्रिन्सिपल्स आफ नेचुरल जस्टिस को अधिक से अधिक इस विधान सभा में भी स्थान देंगे, इसी कामना के साथ आपको पुनः बधाई प्रेषित करता हूं।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से आपके इस निर्विरोध निर्वाचन पर बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि विधान सभा में आपको जो रोल अदा करना है वह एक रेफरी की तरह है, दो टीमों में जो रेफरी का रोल अदा होता है, वह रेफरी का जो जोब है, रोल थेन्कलैस जोब है, यह तो मुझे मालूम है और अब जो सदन के अन्दर विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष, दो टीमें है, जिनके द्वारा बहुत फाऊल करने की गुंजाइश है—बहुत फाऊल खेलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, सत्ता पक्ष

Page No.5

(श्री शोपत सिंह) में बैठे लोग फाऊल खेलेंगे XXX खिलाड़ी हैं सारे के सारे

(व्यवधान)

सारे के सारे XXX खिलाड़ी हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह XXX शब्द मेरे ख्याल से पालियामेन्टरी शब्द नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): आप तो नहीं है XXX दूसरों को XXX कैसे कहते हो।

श्री शोपतसिंह: इससे अच्छा नाम आपके लिए हो ही नहीं सकता।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: अध्यक्ष महोदय, इस शब्द को एक्सपंज किया जाना चाहिए। सम्माननीय सदस्यों के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं लगता।

श्री शोपत सिंह: मैं इसीलिये XXX खिलाड़ी कह रहा था।

श्री अध्यक्ष: XXX शब्द एक्सपंज किया जाता है।

श्री शोपत सिंह: एक्सपंज करने का कहां सवाल है? यह असंसदीय भाषा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह तो मैंने निर्णय दे दिया। आगे बढ़िये आप।

श्री शोपत सिंह: आपने भी निर्णय यह दे दिया। भिड़ते ही बिसमिल्लाह गलत हो गई हमारी तो। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता हूं कि यह कोई ऐसा असंसदीय शब्द है। खैर, जो भी हो, हमें पांच साल गुजारने हैं। पांच साल गुजारने हैं आपके नेतृत्व में, आपकी अध्यक्षता में, सो ख्याल रखेंगे आप इस बात का भविष्य में। विरोधी पार्टी के साथ-साथ मेरी जैसी पार्टी के आदमी पर तो आप विशेष कृपा रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः बधाई देता हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरे दल की ओर से आपको बधाई दी जा चुकी है लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कुर्सी विक्रमादित्य की है। इस पर बैठने के बाद अपेक्षा यह की जाती है कि आप अपनी पार्टी और दल के विचारों से ऊपर उठ कर इस सदन की गरिमा को बनाये रखेंगे। हमें विश्वास तो है आपके सारे जीवन को देखते हुए कि आप निष्पक्ष रहेंगे लेकिन आपके लिए यह परीक्षा की घड़ी है। विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठना सहज है मगर परीक्षा में सफल होने के लिये प्रयास की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आप इस कुर्सी के अनुरूप इस सदन की गरिमा को देखते हुए हां पक्ष और ना पक्ष के बीच में बिलकुल निष्पक्ष और न्यायोचित निर्णय दल से ऊपर उठ कर के देंगे। इसी के साथ मैं आपको अपनी ओर से बधाई देता हूं।

श्री भरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वैसे हमारे मुख्य

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

मन्त्रीजी ने सब कुछ कहा है पर मैं एक शब्द यह कर निवेदन करूंगा, बधाई दे रहा हूं मैं भी, जैसा कि सभी दलों के मुखियाओं ने आपसे निष्पक्ष रहने की बात कही है, पर निष्पक्ष शब्द लोग अपने-अपने ढंग से कहते हैं। आप तो तराजू को देखने वाले हैं। अगर कोई इस सदन के समय और शक्ति का दुरुपयोग करे, कई लोग उसी को न्याय समझ बैठते हैं। आप, जनता के हित में सदन के समय और शक्ति का उपयोग हो, उसका ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में आपको बधाई देता हूं।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : वह शोपत सिंह जी ने ठीक हो कहा था।

आभार

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस सदन का अध्यक्ष आप सबने मुझे निर्विरोध निर्वाचित किया, उसके लिए आप सब का आभार प्रदर्शित करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं। मैं आप सब का आभारी हूं।

यह सदन सर्वोच्च सदन है प्रजातन्त्र की कड़ी में, प्रजातन्त्र का प्रहरी है, यह मैं मानकर चलता हूं। आप और हम सब इस सदन में राजस्थान के आम लोगों के द्वारा निर्वाचित किये जाकर के आये हैं। हमसे राजस्थान के लोग कई आशायें लगाये हुए हैं। आशाओं के साथ ही उन्होंने हमें यहां निर्वाचित करके भेजा है। जो कुछ भी कार्यवाही इस सदन में होगी वह कार्यवाही न केवल इस सदन तक ही सीमित होगी, न केवल राजस्थान तक ही सीमित होगी बल्कि सारा देश उस कार्यवाही को देखेगा। जैसा मैंने कहा, यह सर्वोच्च सदन है। यह सदन जहां प्रान्त का विकास, सामाजिक क्रान्ति लोगों की आशाओं के अनुरूप करने का प्रयत्न करेगा, वहीं इस सदन पर यह भी जिम्मेदारी आयद होती है कि यहां पर जो कार्यवाही हो वह कार्यवाही आम लोगों के सामने उनकी आशाओं के अनुरूप ही पहुंचे इसका भी मुझे पूरा अहसास है।

इस आसन पर इस सदन में मुझसे पहले कई वरिष्ठ लोग बैठ चुके हैं। उन्होंने कुछ परम्परायें इस सदन की बनायी हैं। यों इस सदन की सारी कार्यवाही हमारे अपने जो नियम हैं, हमारा अपना संविधान है उसके अनुरूप होती है लेकिन कुछ ऐसी परम्परायें भी यहां बनी हैं जो परम्परायें हमारे इस प्रजातन्त्र के इतिहास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उन परम्पराओं का भी हम ख्याल करते हुए इस सदन की कार्यवाही चलायेंगे, ऐसा मैं मान करके चलता हूं।

मुझे इस बात का भी अहसास है, माननीय नेतागण; सदन के नेता और विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं ने जो भावना अभी यहां पर व्यक्त की, उनके द्वारा एक प्रकार से मुझे आगाह किया कि इस कुर्सी पर बैठना सरल लगता है लेकिन इस पर बैठ कर जिम्मेदारी निभाना, परीक्षा में पास होकर निकलना एक कठिन काम है। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहूंगा, यह विश्वास दिलाना चाहूंगा, मेरा अपना प्रयत्न होगा कि मैं इस आसन

(श्री अध्यक्ष)

पर बैठ कर उन परम्पराओं को निभाता हुआ, नियमों और हमारे संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनके अन्तर्गत काम करता हुआ इस बात का प्रयत्न करूं कि मैं जो आशाएं आपने व्यक्त की उनके अनुकूल अपने आपको साबित कर सकूं। यह मेरा प्रयत्न निश्चित रूप से होगा।

मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से भी यह विश्वास ले कर के चलता हूं, सदन आपका है, आप इस सदन के माननीय सदस्य हैं, इस सदन की अपनी जो गरिमा रही है उस गरिमा को बनाये रखने; उस प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाने की जहां अध्यक्ष की जिम्मेदारी है वहां माननीय सदस्यों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। माननीय सदस्य भी उस जिम्मेदारी से अपने आपको अलग नहीं समझ सकते, ऐसा मुझे विश्वास है।

इस सदन के माननीय सदस्यों को जब मैं देखता हूं इस सदन मे कई माननीय सदस्य पुराने हैं, काफी अनुभवी हैं। दोनों पक्षों में बैठने वाले माननीय सदस्य, सत्ता पक्ष में हों चाहे विपक्ष में हों, काफी अनुभवी माननीय सदस्य हैं। यह भी सही है कि सदन में इस बार कई नौजवान, हमारे नये माननीय सदस्य भी आये हैं। जो अनुभवी और पुराने माननीय सदस्य हैं, मैं यह मान करके चलता हूं, उनका एक दायित्व हो जाता है कि वे इस सदन में ऐसी परम्पराएं प्रस्तुत करेंगे जिससे हमारे नये माननीय सदस्य जो आने वाले हैं, को भी प्रेरणा मिले और वे इस सदन की गरिमा को और आगे बढ़ाने में, इस सदन की गरिमा के इतिहास में एक कड़ी और जोड़ने में अपने आपको सहयोगी साबित कर सकें। यह कह कर मैं यह नहीं कह कर चलता कि नये आने वाले जो माननीय सदस्य हैं उनका इस तरह से सदन में बैठने का अनुभव न रहा हो, व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव उनका भी मैं कम मान कर नहीं चलता। यह बात सही है कि जो अनुभवी माननीय सदस्य हैं उनसे प्रेरणा लेने की हमेशा नया व्यक्ति कामना करता है। मैं उन माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि निश्चित रूप से इस सदन में इसी प्रकार की कार्यवाही होगी जिससे हमारी गरिमा बढ़े, हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़े, इस सदन की प्रतिष्ठा भी बढ़े और जिन लोगों ने आपको और हमको यहां चुन कर के भेजा है वह भी समझें कि राजस्थान का यह सर्वोच्च सदन वास्तव में सर्वोच्च है कार्यप्रणाली में भी, व्यवहार में भी, काम में भी और प्रेरणा में भी।

मैं आपको यह विश्वास दिला करके चलना चाहता हूं, इस आसन पर बैठ कर निष्पक्षता के आधार पर मेरे यहां से न्याय होगा। उसमें कहीं पर भी यह नहीं होगा कि यह इस दल का है या उस दल का है। निर्णयों में कहीं पर आपको संदेह की गुंजाइश न रहे, यह मेरा प्रयत्न निश्चित रूप से होगा।

यह सब बात इस सदन की गरिमा की बात जो खास तौर से मैं कहता हूं वह इसलिये कि हमारे देश में एक विशेष परिस्थिति राजस्थान के इस सदन की रही है। देश के अन्दर हर प्रान्त के

(श्री अध्यक्ष)

अपने सदन हैं। दूसरे सदनों के बारे में कहने का कोई औचित्य भी नहीं है और न मुझे कहना चाहिए लेकिन इस सदन में बैठने का मुझे भी काफी अवसर मिला है, काफी लम्बा समय मिला है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे राजस्थान की इस विधान सभा ने अपने इतिहास में देश में एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया है गरिमा की दृष्टि से भी, व्यवहार की दृष्टि से भी और काम और कार्यप्रणाली की दृष्टि से भी।

कई मौके इस सदन में ऐसे भी आये हैं जब माननीय सदस्यों में उत्तेजना पैदा हुई है, आक्रोश पैदा हुआ है। आक्रोश और उत्तेजना पैदा होना कई बार स्वाभाविक होता है लेकिन वास्तव में सदन की गरिमा को कायम रखने के लिए आक्रोश और उत्तेजना पर काबू पाना भी एक महत्व की बात है। माननीय सदस्य जब आक्रोश में आयें, उत्तेजित हों तब भी अपनी बात को संयम रख कर इस सदन से कहेंगे तो मैं समझता हूं उसका वजन, उसका असर ज्यादा अधिक होगा बनिस्बत इसके कि हम आक्रोश या उत्तेजना में कुछ बात कह दें, उसका उतना असर, दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, नहीं पड़ता। उस घड़ी में निश्चित रूप से सदन के माननीय सदस्यों को भी, अपने आप पर एक प्रकार से दबाव रखना होगा। इस आसन के समक्ष भी वही समय आता है जिसको शायद आप कह सकते हैं परीक्षा की घड़ी। लेकिन मेरा अपना ऐसा प्रयत्न होगा कि किस प्रकार से आपका आक्रोश, उत्तेजना कम हो और सही रूप में आप अपनी बात कह सकें। मैं चाहता हूं कि हर सदस्य अपनी बात, अपने मन की भावना स्पष्ट रूप से इस सदन में कहे लेकिन उसमें इतना संयम रहे कि वह कोई ऐसी बात नहीं हो जो आगे जाकर किसी को चुभने जैसी बात हो जावे। आपको सत्ता पक्ष की आलोचना करने का, सही बात कहने का अधिकार है, उससे इंकार करके नहीं चला जा सकता लेकिन इस तरह का वातावरण बने जिससे जो मुद्दा उठाना चाहते हैं उस मुद्दे का सही हल यहां बैठ कर हम निकाल सकें और सही हल के साथ इस प्रकार का वातावरण बना सकें जिसमें हम बैठ कर आसानी से उन प्रश्नों को हल कर सकें।

मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों का एक बार अपनी ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझ में जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास के अनुरूप और अनुकूल मैं अपने आपको स्थापित करने का प्रयत्न करूंगा। माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी भावनायें यहां पर व्यक्त की हैं उन भावनाओं को मैं समझता हूं और उन भावनाओं का आदर करते हुए यह मैं फिर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी निर्णय इस आसन से होंगे। वह निर्णय हमारी परम्पराओं, जो परम्परायें हमने बनाई हैं के आधार पर होंगे, वह निर्णय हमारे नियमों के आधार पर होंगे, और वह निर्णय संविधान में जो हमें अधिकार दिये गये हैं उसके आधार पर होंगे। मैं चाहता हूं कि इस सदन की जो परम्परायें बनी हैं, उनसे और अच्छी परम्परायें हम बना सकें, उनसे और आगे हम निकल सकें ताकि इस सदन की गरिमा

Page No.9

(9)

(श्री अध्यक्ष) का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में एक और कड़ी इस सत्र में जोड़ेंगे, ऐसा विश्वास लेकर मैं चलता हूं।

पुनः एक बार आप सभी का बहुत-बहुत आभार धन्यवाद।

जय हिन्द।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्न काल का नियतन

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पोइन्ट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के पास प्रश्नकाल और शून्य-काल, यह दो ऐसी व्यवस्थायें हैं जिसमें हम जनता की समस्याओं को यहां रख सकते हैं और सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। यह जो वर्तमान सत्र है, केवल नौ और दो, ग्यारह दिवस का ही है। नौ दिन काम करेंगे, दो दिन का अवकाश है। ग्यारह दिन में क्या किया है कि प्रश्नकाल आपने नहीं रखा है। कल भी नहीं है, परसों भी नहीं है। तीन दिन का तो यह प्रश्नकाल नहीं है। आज आपने पद ग्रहण किया है। आपके सेक्रेटेरियट से मुझे सूचना मिली है, उसमें यह लिखा है उन्होंने कि 20, 21 और 22, इन तीन दिनों तक प्रश्नकाल नहीं होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा काल होता है जब हम अपनी बातों को रख सकते है। आज की बात तो समझ में आ सकती है कि आज आप पधारने वाले थे। हम भी चाहते थे कि आप बिना सवाल जवाब के आप पधार जावें। लेकिन अब जो कल और परसों दो दिनों की बाकी है, इसमें प्रश्नकाल नहीं हो इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आया। हमारे अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं की जावे, हम क्यों नहीं अपने प्रश्न यहां रख सकते हैं, हमारे प्रश्न क्यों नहीं आवें यहां पर। यह अन्याय भी आपके रहते रहते पहले दिन ही हो जावे। अभी आपने सारी जो घोषणायें की हैं, आपने जो विश्वास दिलाया है, जो आपने अन्तर्मन से दिलाया है, हम बिलकुल उम्मीद भी यही करते हैं। दोनों दिन प्रश्नकाल होना चाहिये, मेरा यही निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न-काल और शून्यकाल निश्चित रूप से हमारी जो दैनिक प्रक्रिया है, जो हमारा दैनिक कार्यक्रम है, उसमें अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम तौर पर प्रश्नकाल और शून्यकाल हमेशा होते रहे हैं। जैसा अभी आपने बताया कि 20, 21 और 22 को प्रश्नकाल नहीं होंगे। तो 20 को तो बात ठीक थी कि आज चुनाव था इसलिए नहीं होने थे। 21 और 22 के लिए जैसा मुझे सचिवालय से जानकारी मिली है कि प्रश्नों के ऊपर यह है कि जो प्रश्न आता है उसके मैच्योर होने के लिए टेन डेज फिक्स हैं। जो प्रश्न आता है वह टेन डेज में मैच्योर होता है। मतलब गवर्नमेंट को जाता है, रिप्लाई आता है, छपता है उसकी प्रक्रिया में दस दिन फिक्स हैं। जो प्रश्न सदन के अन्दर पूछे जाने के लिए माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए हैं वह सेक्रेटेरियट में 13 और 14 तारीख को आये हैं। 13 और 14 तारीख को जो

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न आये है वह 21 और 22 तक मैच्योर नहीं हो पाते थे, उस प्रक्रिया में निकल करके पूरी कार्यवाही नहीं हो सकती थी, नहीं छप सकते थे, इसलिए इसको आगे बढ़ाया है; बाकी कहीं पर भी यह बात नहीं हो सकती। और मैंने तो अभी आज देखा है, आगे के लिए जो भी व्यवस्था होगी उस बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी जो आपको दिया गया है 21 और 22 का, उसके पीछे एक ही बात रही है कि प्रश्न मैच्योर नहीं हो पा रहे थे और छपने के हिसाब से टाइम था। उनको फिक्स किया गया है 25 से ऑनवर्ड, यह प्रश्न 25 से बराबर पूछे जाते रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक बात और है……

श्री यदुनाथ सिंह : मैंने 5 तारीख को ही दे दिया था……

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक करके बोलिये। माननीय सदस्य, एक एक करके, एक एक करके।

श्री भंवरलाल शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियमों का आपने हवाला दिया है, आपको यह भी अधिकार है, अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार है कि यदि कार्यवाही में कोई नियम बाधक बनते हैं, जिसमें बड़ा हित छिपा हुआ है उसमें रिलेक्सेशन देना आपके अधिकार की बात है।

श्री अध्यक्ष : अभी तो मैं आसन पर बैठा ही हूं, मुझे आफिस में तो जाने दीजिए। तब फिर बात करिये। अभी तो मैं आसन पर बैठा ही हूं। नियमों में क्या है, क्या नहीं है, यह मुझे देखने का मौका तो दीजिए आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि जब आपकी अनुमति नहीं है तो सेक्रेटेरियट को कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रश्नकाल को समाप्त कर दे। कोई अधिकार नहीं है। मेरा एक निवेदन और है कि आप ऐसा करिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : यह निर्देश किसने दिये हैं यह बताया जावे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक करके, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : किस की आज्ञा से यह प्रश्नकाल स्थगित हुआ जब आपने आज्ञा नहीं दी तो, एक उत्तर तो यह देवें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि प्रश्न चले गये सेक्रेटेरियट मान लीजिए, कोई ऐसा सवाल आ जावे जिसका जवाब सरकार नहीं दे सके तो स्थगित कराया जा सकता है। परन्तु उस आधार पर सारे प्रश्नों को आप यहाँ नहीं आने देवें, यह न्यायोचित नहीं होगा। अगर सरकार यह कहे कि भाई हमारे पास पर्याप्त समय नहीं था, हम अयोग्य हैं जवाब देने के लिए या असमर्थ हैं, उसको आप एडजोर्न भी कर दें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। पर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उस ग्राउन्ड पर सारे प्रश्न, जिनके जवाब भी आ सकते हैं, को आप ड्रोप कर दें, यह न्याय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 31 की तरफ आकर्षित करता हूं। रूल 31 प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियम। यह जो आदेश आज सचिव महोदय ने जारी किया है, बिल्कुल अनधिकृत है। आपका चुनाव आज हुआ है। सिर्फ आपको ही अधिकार था, आपको ही अधिकार उत्पन्न होता है नियमों के तहत कि आप यह डायरेक्ट करते कि यह प्रश्न-काल नहीं होगा। क्योंकि रूल 31 इस बारे में स्पष्ट—"Unless the Speaker, otherwise direct", मैं निवेदन करता हूं कि विधान सभा की बैठक शुरू होने के साथ ही यह जो प्रक्रिया के संचालन सम्बन्धी नियमों की अवहेलना हुई है, बिल्कुल उचित नहीं है। यह अवहेलना निरस्त की जानी चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि जिनका सरकार उत्तर दे सकती है। जिन प्रश्नों के उत्तर दिया जा सकता है उन प्रश्नों को आप शामिल करें। सरकार की जहां मजबूरी है, उत्तर नहीं दिया जा सकता उसके लिए दो दिन का समय आप उनको दें। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो सक्यूलर जारी हुआ है, परिपत्र जारी हुआ यह परिपत्र ही अनधिकृत है। यह न तो प्रोटेम स्पीकर थे उन्होंने जारी करवाया और न आपका आदेश था। आपका आदेश तो हो ही नहीं सकता था, आपका तो चुनाव अब हुआ है। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि इसको बिल्कुल निरस्त करवायें और कल से स्टार्ड क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो सकते हों तो साइक्लोस्टाइल करवा कर आप इसके वितरण की व्यवस्था करवायें। जिन सवालों का उत्तर नहीं आ सकता, उन सवालों को विधान सभा में आप स्थगित करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का सत्र 12 मार्च को आहूत किया गया है। 12 मार्च को यह सत्र बुलाया गया, सात दिन के नोटिस पर। दस दिन का जो नियम है, मैं समझता हूं वह तो लागू हो नहीं सकता। 12 मार्च को जब विधान सभा बुलाई गई है तो फिर प्रश्न उसके पहले दिए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यह बात ध्यान में रहनी चाहिए थी कि जब सात दिन का समय विधान सभा को आहूत करने के लिए दिया गया है तो कम से कम उतना ही रिलेक्सेशन प्रश्नों के उत्तर में भी दिया जाना चाहिए था। यह कोई नियम नहीं है, दस दिन का समय तो सुविधा के लिए दिया जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराना : 11 को आहूत हो गई थी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हमारे पास जो सूचना है वह 12 मार्च की है। 11 तारीख को इनको आदेश मिला है। बाकी हमारे पास सूचना 12 मार्च की है।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

(व्यवधान)

इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता सात और आठ दिन में।

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो इसलिए यह रिलेक्सेशन हो सकता है। दस दिन में नहीं तो सात दिन में जिन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकते हैं, कम से कम वह प्रश्न तो लिये ही जाने चाहिए। दस दिन का नियम है। मैक्सीमम, अधिकतम समय दस दिन का है। इसलिए उस अधिकतम समय का ही बहाना ले करके जिन प्रश्नों का उत्तर कम समय में दिया जा सकता है उनको भी टाल देना उचित नहीं है। इसलिए जिन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न तो लिए ही जाने चाहिए।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : मेरा निवेदन है........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 31 और 32 के अनुसार यह है—जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें। आज आपका चुनाव हुआ है। आपने जैसा कहा, सैक्रेटेरिएट ने कहा, यह बात समझ में आती है कि अभी तक छपे नहीं हैं तो कल छपना सम्भव नहीं है। किन्तु परसों प्रश्न काल नहीं हो, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। कल की तो बात समझ में आती है। दस दिन का मार्जिन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को उत्तर देने के लिए आवश्यक है; यह बात सच है। 12 तारीख को आहूत हुई विधान सभा जैसा भंवरजी ने कहा, आज आपका चुनाव हुआ और उसमें आपका अगर निर्देश इस प्रकार का हो जावे और वह भी जबकि सत्र इतना छोटा है; इसी कारण से मेरी आपसे अपील है कि छप नहीं सकते तो साइक्लोस्टाइल होकर बंट सकते हैं.......

श्री शोपतसिंह : माननीय सदस्य कहिए, यह आपका पार्टी आफिस नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपके स्पीकर का रोल अदा करने के लिए धन्यवाद।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विनम्र अपील है आपसे कि 8-9 दिन का मार्जिन देखते हुए ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातचीत नहीं कृपया।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य, यह तो आपको कहना चाहिए। बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आप भी

Page No.13

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) ... स्पीकर का रोल प्ले कर रहे हैं। खैर, क्षमा करिये, आप।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विनम्र अपील है आपसे कि इस बारे में आप स्पष्ट निर्देश दें सेक्रेटेरिएट को कल सम्भव हो तो कल वरना परसों प्रश्नकाल अवश्यमेव रखा जाए। जिन प्रश्नों के उत्तर आ गये हों, आ सकते हों, आने की सम्भावना है पूरी, आपके निर्देश के अनुसार, आदेश के अनुसार परसों कम से कम प्रश्नकाल अवश्यमेव रखा जाय ताकि हमारे जो अधिकार हैं और जिन अधिकारों के द्वारा इस छोटे से सत्र में हम जनता की समस्या प्रश्नों के द्वारा सदन में रखना चाहते हैं उसको दृष्टि से रख सकें और जनता की समस्याओं की दृष्टि से उनका निवारण किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : कोई नई बात हो तो माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि दो प्रश्न इसमें निहित हैं। एक तो आपका अधिकार, एक हमारा अधिकार और दूसरा सरकार की सक्षमता। इस प्रश्न को तय करते वक्त मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रश्न दिये गये हैं, क्या सरकार ने अपनी मजबूरी जाहिर की है कि वह 21 और 22 को उनके जवाब देने में अक्षम है। अगर ऐसा नहीं है, उनकी अक्षमता नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन के सामने कल प्रश्न काल होना चाहिए चाहे साइक्लोस्टाइल व्यवस्था हो, चाहे कोई दूसरी व्यवस्था हो। मैं तो आपसे कहूं, आज आप चुने गये हैं, आज हमारे महत्वपूर्ण अधिकार का प्रश्न आपके सामने है। हम चाहते हैं कि जो व्यवस्था आपकी हो, उसमें साफ तौर से बताया जाय कि सरकार की अक्षमता के कारण हमारा अधिकार नहीं आ रहा है या सदन के सेक्रेटेरिएट को दिक्कत आ रही है। जहां तक सवाल है, आपको रूल 31 और 32 में पावर है। दस दिन को भी आप कम कर सकते हैं रूल 32 में। कोई जरूरी नहीं है कि दस दिन में ही सवालों के जवाब दिये जाएं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कल ही प्रश्नकाल हो। ऐसे भी सवाल हैं जो दस दिन पूर्व दे दिये गये हैं। ऐसी बात नहीं है, नहीं हो। हमने भी उन पर हस्ताक्षर किये हैं। उनके जवाब तो आ ही सकते थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि साफ तौर से हमें पता चले कि सरकार सजग है या किन्हीं रूल के बहाने से अपनी जिम्मेदारी को टालना चाहती है। वह जिम्मेदारी आपके द्वारा नहीं टाली जाएगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। इसलिए कल आप सारी बातों का मालूम करके, अभी जो सत्र हो तब हमें मालूम होना चाहिए, आखिर हमारे अधिकारों को कौन टाल देना चाहता है।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस रूल 31 को इन्होंने कोट किया है, वह रूल 30 और 31 यह इस पर लागू नहीं होते हैं। जितने पुराने माननीय सदस्य हैं वह जानते हैं, बिजनेस हाउस में कण्डक्ट करने के लिए

(श्री सी. पी. जोशी)
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का फोर्मेशन होने के बाद बिजनेस आयेगा। जो रूल 31 और 32 आप कोट कर रहे हैं वह 31 और 32 रूल तो, अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल निहित करने के बाद किये जा सकते हैं। इसलिए प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, जिस रूल 31 और 32 को कोट किया जा रहा है वह रूल इसके लिए रिलेवेन्ट नहीं है। इस हाउस के सारे बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनेगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनने के बाद जिस तरह के कार्य बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एडवाइस करेगी उनको कमेटी में····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया सुनिये।

श्री सी. पी. जोशी : इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष का पद वेक्यूम में नहीं था। आपका आज चुनाव हुआ, उसके पहले भी अध्यक्ष पद और सैक्रेटेरिएट एग्जिस्ट कर रहा था। इसलिए सैक्रेटेरिएट ने जो सक्यूलर निकाला है, 20, 21, 22 को प्रश्नकाल नहीं होगा, सैक्रेटरी इस बात के लिए कांपीटेन्ट था। इसलिए इस आपत्ति को निरस्त किया जाय। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का निर्णय होने के बाद जिसे आप नियुक्त करेंगे, कल से उसकी एडवाइस लागू की जाएगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक ने जो बातें यहां पर रखीं उसके साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न जो है उसके लिए कम से कम 10 दिन की सूचना आवश्यक मानी गई है। आप जानते हैं कि राजस्थान इतना बड़ा है, सूचनाएं मंगाने में समय लगता है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय मेरे हिसाब से 11 दिन हो गये हैं।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : तारांकित प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से मिलें····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये, आपको बात भी सुनी है। सुनिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तारांकित प्रश्नों के बारे में जहां से सूचना हम मंगवाते हैं, सूचनाएं मंगवाने के लिए कम से कम 7-8 दिन लगते हैं इसलिए आप जो भी व्यवस्था देंगे उस आधार पर देंगे। आगे सदन में परम्पराएं रही हैं, जो-जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार की तरफ से सक्षमता के साथ उत्तर दिये जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न शाखा में अनेक प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब आ चुके हैं।

(व्यवधान)

उनके तो दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, ऐसी कोई

(श्री अध्यक्ष).

बात नहीं है कि अभी से आक्रोश में आ जाएं।

माननीय सदस्यों को इस बिन्दु पर मैं यह कहना चाहूंगा, जैसा यह अनुभव किया गया कि अध्यक्ष का चुनाव आज हुआ है, इससे पहले यह निर्णय कैसे ले लिया गया क्योंकि रूल्स में प्रावधान है कि इसमें हेरफेर करने का अधिकार केवल अध्यक्ष को है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य जो पुराने हैं, जिनको अनुभव है इस बात का, वह सम्भवतः यह जानते होंगे कि यह सदन बिना स्पीकर के कभी नहीं रहता। इस सदन में हमेशा स्पीकर रहता है। जब तक स्पीकर नहीं चुना जाता या प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी स्पीकर नहीं बना दिया जाता तब तक हमारे पुराने स्पीकर कन्टीन्यू करते हैं, वह समाप्त नहीं होते। तो यह कहना कि स्पीकर नहीं थे, यह व्यवस्था किसने दी। तो यह तो आपको मानकर चलना चाहिए कि स्पीकर इस सदन के थे और स्पीकर ने ही व्यवस्था दी तब सचिवालय ने यह जो सूचना हमने आपको दी वह सूचना दी गई। इस पर विचार करके जो हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष इस सदन के थे माननीय श्री विश्नोई जी, उन्होंने यह निर्णय दिया कि यह क्वेश्चन मैच्योर नहीं हो पायेंगे इसलिए यह दो दिन निकाल करके तारीख 25 से....

श्री मानिकचन्द सुराना : यह किस तारीख को निर्णय दिया है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये मेरी बात। प्रोटेम स्पीकर....

श्री मानिकचन्द सुराना : श्री पूनमचन्द विश्नोई का कोई निर्णय इस विधान सभा के प्रश्नों पर लागू नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं बैठ रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात पूरी कर लूं, इसके बाद आप कहिए। मेरी बात सुन लीजिये आप शांति से सुनिये, उसमें ऐसी बात नहीं है। प्रोटेम स्पीकर की घोषणा होना मात्र ही प्रोटेम स्पीकर इस सदन का बन जाना जरूरी नहीं है। प्रोटेम स्पीकर बने हैं 19 तारीख को 11 बजे। उसके पहले पूनमचन्दजी स्पीकर थे। 11 बजे उन्होंने रेलिंक्विश किया। यह प्रक्रिया है, यह नियम है हमारे इसमें स्पष्ट है। इसलिए यह सदन कभी भी स्पीकर के बिना नहीं रहा। माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई 19 तारीख को 11 बजे तक इस सदन के स्पीकर थे, यह आपको समझकर के चलना चाहिए। जब वह स्पीकर थे तो वह सक्षम थे इस सदन की कार्यवाही के बारे में निर्णय देने के लिए। अब जब स्पीकर मैं बना हूं तो अब यह स्थिति आ जायेगी कि इस पर मुझे आगे क्या व्यवस्था देनी है। यह सारी स्थिति मैंने आप लोगों की बातें सुन ली हैं, मैं इसको देखूंगा। कितना एकोमोडेट मैं कर सकता हूं, करने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन इस पर यह बताना कि सरकार अक्षम है, तैयार नहीं हो पायी,

(श्री अध्यक्ष)
अब तक न तो इसमें सरकार पिक्चर में आई है, न सरकार से पूछा गया है, न सरकार से बात करके कोई बात की गई है। यह जो कुछ भी फैसला है...

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपने जो यह पूछा, माननीय लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि उन्होंने कब निर्णय लिया? उनका निर्णय है 14 मार्च का। 14 मार्च का उनका निर्णय है। जब प्रश्न उनके सामने आ गये, जब उनको फैसला करना था कि यह प्रश्न कब लेंगे, कौन सा प्रश्न कब लेंगे तब उन्होंने यह फैसला किया कि 23 और 24 की चूंकि छुट्टी है, इसलिए 25 मार्च से पहले यह प्रश्न लग नहीं पायेंगे, इसलिए उन्होंने फैसला किया। फिर भी मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि मैं इसके सारे पहलुओं को देखूंगा और जितनी भी जल्दी सम्भव हो सके, प्रश्नकाल का आपका अधिकार है, माननीय सदस्यों का इस प्रश्नकाल के लिए पूरा अधिकार है और इसके माध्यम से उभय पक्ष के माननीय सदस्य सरकार से कुछ जानकारी चाहते हैं वह बहुत महत्व की बात है, उसको हम जानबूझ करके या किसी कारण से करटेल करना नहीं चाहते, पूरा समय देना चाहते हैं, यह पूरा समय देने के लिए मैं आश्वस्त करता हूं। लेकिन यह प्रारम्भ की बात है और इसमें कितना मैं एकोमोडेट कर पाऊंगा उतना एकोमोडेट करने का मैं अपना प्रयत्न करूंगा।

सदन की कार्यवाही आज दिनांक 20-3-85 के अपरान्ह 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 11.50 बजे अपरान्ह 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] अष्टम विधान सभा के प्रथम सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 3

बुधवार
दिनांक 20 मार्च, 1985

विधान सभा की बैठक मध्याह्न पश्चात 3.55 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

दलीय स्थिति

श्री भैरोंसिंह शेखावत का आमेर निर्वाचन क्षेत्र से सदस्यता से त्यागपत्र

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि इस सदन के माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह शेखावत, जो दो जगहों से निर्वाचित हुए हैं—आमेर और निम्बाहेड़ा, उन्होंने आमेर क्षेत्र से अपना त्याग-पत्र दिया है। वह इस प्रकार है—

मैं, प्रक्रिया के नियमों के नियम 173 (5) के अन्तर्गत माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री भैरोंसिंह शेखावत जो आठवीं राजस्थान विधान सभा के दो निर्वाचन क्षेत्रों यथा आमेर तथा निम्बाहेड़ा से निर्वाचित हुए हैं, ने आमेर निर्वाचन क्षेत्र से, राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से दिनांक 19 मार्च, 1985 से त्याग-पत्र दे दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अभिभाषण

श्री अध्यक्ष : सचिव, राजस्थान विधान सभा, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री सचिव (विधान सभा) : महोदय, मैं श्रीमन् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से अनुमति प्राप्त विधेयक

महोदय, मैं गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है—

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1984

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या–5) विधेयक, 1984

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या–6) विधेयक, 1984

(3) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984

(4) राजस्थान नगरपालिका (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण एवं संशोधन) विधेयक, 1984

(5) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1984

(6) राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1984

(7) राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984

(8) राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1984

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मन्त्री !

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1984) सदन की मेज पर रखता हूं।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधानमन्त्री को श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति—श्रीमती इन्दिरा गांधी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, भारत के राजनैतिक और सामाजिक गगन से एक महान् सितारा अस्त हो गया। दिनांक 31 अक्टूबर, 1984 को भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी पर प्राणघातक हमला किया गया, जिसके फलस्वरूप उनका असामयिक निधन हुआ। भारत की महान् नेता के इस निधन से सारा राष्ट्र शोकमग्न हो गया।

(मुख्यमन्त्री)

श्रीमती गांधी ने लम्बे समय तक देश का नेतृत्व सम्भालकर सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति की दिशा में भारत देश को अग्रसर किया। समाज के पिछड़े और निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए उनके शासन में अनेक उपयोगी और सफल कदम उठाये गये, जिनमें बीस सूत्री कार्यक्रम प्रमुख था।

श्रीमती गांधी ने विश्व शांति स्थापित करने के लिए निर्गुट राष्ट्रों को संगठित करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे विश्व स्तर की एक महान् नेता थीं और भारत को इससे गौरव का स्थान मिला।

राजस्थान को श्रीमती गांधी के निधन से अपूरणीय क्षति हुई है क्योंकि राजस्थान उनके हृदय में बहुत निकट था और यहां के विकास में उनकी गहरी रुचि थी। उनके समय में राजस्थान राज्य को प्राकृतिक विपदाओं से मुकाबला करने और राजस्थान नहर जैसे विशाल कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार का पूरा सहयोग और सहायता मिली। राजस्थान की जनता ने श्रीमती गांधी के निधन को बहुत बड़ी क्षति माना है और यहां का जन-जन पूरे राष्ट्र के साथ शोक मग्न रहा है।

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं यह सदन भारत की महान् नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करता है और उन्हें अपनी भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 अक्टूबर, 1984 को देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी इस संसार से चली गईं, यह भारत के लिए और विश्व के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं अपने दल की ओर से और मेरी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

विचारों की दृष्टि से परस्पर में बहुत मतभेद होने के बाद भी देश को विश्व के नक्शे में ऊपर उठाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिन परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई है, उसकी जिन शब्दों में निन्दा की जाय वह शब्द आज मेरे पास नहीं है। प्रजातांत्रिक जीवन में हिंसा को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। किन्तु सचमुच जिन्होंने हत्या की है, उन्होंने प्रजातन्त्र को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। न देश को, विश्व को और कभी-कभी तो मैं विचार करता हूं कि विरोध को भी बहुत बड़ा नुकसान उनके इस संसार से चले जाने के कारण हुआ है। मैं अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो देश उनके चले जाने से अपार दुःख में डूबा है, हम सब इस बात को सहन कर सकें इस प्रकार का विश्वास प्रकट करता हूं। अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, अपने पिता पण्डित नेहरू के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सर्वाधिक समय तक देश की प्रधान मन्त्री के रूप में सेवा की। कई तरह के उतार-चढ़ाव आये लेकिन निश्चित रूप से हमें यह मानना पड़ेगा ही कि वह संकटों से जूझना जानती थीं। किन्तु इन संकटों से जूझने की प्रवृत्ति

Page No.20

(श्री नत्थीसिंह)

में अन्तिम संकट जो इस देश पर उनके जीवनकाल में उनकी हत्या के द्वारा आया वह निश्चित रूप से हम लोगों को यह विचार करने के लिए बाध्य करता है कि वह कौन-सी परिस्थितियां थीं जिससे इस देश में जनतन्त्र की सुरक्षा पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा और देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रधान मन्त्री को हमारे बीच में से उठा लिया गया। आज के दिन मैं और मेरा दल, दलित मजदूर किसान पार्टी निश्चित रूप से सारे देश के साथ इस शोक में शामिल हैं कि हमारे बीच से इन्दिरा गांधी जैसी नेत्री उठा ली गयीं। हम यह भी चाहते हैं कि ऐसे संकट के समय पर किस तरह हम इन कठिनाइयों का मुकाबला करें। इसमें दलों के हिसाब से नहीं, देश के हिसाब से हम एक होकर सोचें। आज श्रीमती गांधी को श्रद्धांजलि देते समय हमें निश्चित रूप से इस बात पर गौर करना चाहिए, इस देश को इन संकट पूर्ण स्थितियों में ले जाने के जो कारण थे, जो परिस्थितियां थीं हम सबको विचार करके उनका शमन और समाधान करना होगा।

हमारे राज्य में भी यह परिस्थितियां बनीं, जो थोड़ी देर बाद शोक प्रस्ताव आयेगा तब मैं निवेदन करूंगा। लेकिन यह बात निश्चित रूप से हमें माननी चाहिए कि यह परिस्थितियां न बनने में देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही दायित्व है और जब तक हम इस दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे तब तक इस देश को इस संकट की घड़ियों से दूर नहीं ले जा सकेंगे। श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारे बीच से उठीं यह हमें इस बात का सन्देश देती हैं कि देश को एक ओर अखण्ड रखने के लिए इस तरह की जो विघटनवादी प्रवृत्तियां हैं, उनको हटायें, चाहे वह हमारे राजनैतिक स्वार्थों के लिए ही बढ़ावा देने की प्रवृत्ति हो, नहीं दें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रीमती इन्दिरा गांधी को शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रामचन्द्र भाट (जनता जेपी): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की सबसे शक्तिमान प्रधान मन्त्री थीं। उनके असामयिक निधन से देश को एक अपूरणीय क्षति हुई है।

यह देश के प्रजातन्त्र के अध्याय में सबसे काला, हृदय विदारक और भयावह दृश्य है जिसे कोई भी हिन्दुस्तानी नागरिक नहीं भुला सकता। पंजाब की समस्या को ले करके जिस प्रकार यह निर्मम हत्या हुई उससे हम सबको सबक लेना है। आज भी जो पंजाब की स्थिति है उसको देखते हुए, चाहे हम विरोधी पक्ष में हों, चाहे सत्ता पक्ष में हों, इस पंजाब की समस्या का समाधान करने में हम सबको अपने स्तर पर सहयोग करना है तभी हम श्रीमती इन्दिरा गांधी के किए गये कार्य को आगे ले जा सकेंगे। देश की एकता आज बहुत आवश्यक है। जिन परिस्थितियों में श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई वह स्थितियां आज भी हिंसा के माध्यम से मौजूद हैं।

हमारे दल की ओर से मेरी ओर से जो पूर्व वक्ताओं ने भावनायें व्यक्त कीं, उनको मैं अपने साथ जोड़ते हुए हृदय से यही चाहता

Page No.21

(श्री रामचन्द्र जाट)

हूं कि उनको चिर शांति मिले । देश शांति के मार्फत और एकता के मार्फत आगे और आगे बढ़े, यही हम सबका एक कर्त्तव्य है।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी की जिन हालात में और जो दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई वह देश के लिए एक कलंक की बात है। उन्हीं के प्रहरियों ने उनकी मौत की। इसके साथ-साथ जिन सिरफिरे लोगों ने हमारे देश की प्रधान मन्त्री को मारा है उन्होंने एक कौम के ऊपर भी कलंक का टीका छोड़ दिया, जो शायद इतिहास में मिटेगा नहीं। उसके नतीजे इस देश के बहुत से लोगों को भुगतने पड़े। अगर हमने इन परिस्थितियों को काबू में नहीं किया तो भविष्य में भी यह खतरे मौजूद रहेंगे। सवाल यह उठता है, हम सभी का प्रयत्न यह होना चाहिए कि इस देश के इन हालात को ठीक किया जाय, उसमें रुचि ली जाय। जो हालात पैदा हुए थे, जिन हालात में, जिन हालात की वजह से हमारे देश की प्रधान मन्त्री की हत्या हुई उन हालात को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे यह खतरे मौजूद रहेंगे। यह हमारी सब की जिम्मेदारी है।

मैं मेरी पार्टी की तरफ से प्रधानमन्त्री की इस मौत को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य गण, सदन के नेता और विभिन्न दलों के नेताओं ने हमारे देश की तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के स्वर्गवास पर अपनी भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी भावनाओं के साथ मैं भी अपनी भावना सम्मिलित करता हूं।

निःसन्देह 31 अक्टूबर, 1984 का दिन भारत के आधुनिक इतिहास में एक काला दिवस के रूप में देखा जाता रहेगा, जिस दिन देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की निर्मम हत्या की गयी। वास्तव में श्रीमती गांधी की यह हत्या एक साधारण हत्या के रूप में नहीं ली जा सकती। यह एक प्रकार से प्रजातन्त्र की पीठ में छुरा भोंकने-सी बात है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश को लम्बे समय तक नेतृत्व दिया। हमारे अपने देश के विकास के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उनके समय में भारत ने न केवल अपने ही घर में ही वरन् विश्व में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। विकास की दृष्टि से हर क्षेत्र में उन्होंने अपने कीर्तिमान स्थापित किये। केवल देश तक ही नहीं, विश्व के विकासशील देश भी आज श्रीमती इन्दिरा गांधी की ओर देखते थे। अपने भविष्य की दृष्टि से उनका मार्गदर्शन करने का बराबर उनका अपना प्रयास रहा। आप लोगों ने देखा; उनके काल में जो देश के अन्दर 103-104 देशों का यहां पर सम्मेलन हुआ। वह इस बात का द्योतक था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी न केवल भारत की प्रधान मन्त्री थीं, वरन् देश की नेता के रूप में उभर कर सामने आ रही थीं। हर क्षेत्र में आज अगर अपन देखें तो उनके वक्त में, उनके समय

(श्री अध्यक्ष)

में देश का काफी विकास हुआ। आज जो क्षति, यों साधारणतया हम देखें तो जो नुकसान हुआ है, हमें वह कभी पूरा होना सम्भव नहीं हो सकेगा। यह तो समय की बात रहती है लेकिन आज जो हम देखते हैं उससे मुझे लगता है, ऐसा नेता जो हमारे बीच से उठकर गया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। न हम भूल सकते हैं, न आने वाली पीढ़ी, जो इतिहास को पढ़ेगी, इसको भूल पायेगी।

मैं भी, इस सदन के विभिन्न दलों के नेताओं ने जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति अपनी भावना प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की, उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हुआ अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो मिनट खड़े होकर मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तत्पश्चात् सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

स्व. श्री कोस्तान्तिन यू चेर्नेन्को सोवियत संघ के राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, कोस्तान्तिन यू. चेर्नेन्को मृत्यु से पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति एवं सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। वे भारत के परम मित्रों में से थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत के साथ मित्रता का सम्बन्ध प्रगाढ़ करने में अपनी शक्ति लगाई। उनके निधन से भारत को महान् क्षति हुई है।

स्वर्गीय श्री चेर्नेन्को ने अपने कार्यकाल में निरस्त्रीकरण एवं परमाणु शस्त्रों को रोकने के सम्बन्ध में अमरीका से बातचीत शुरू की थी। वे विश्व शांति के हिमायती थे।

मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सदन उस महान् नेता एवं भारत के महान् मित्र के निधन पर शोक प्रकट करता है एवं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री चेर्नेन्को, रूस के राष्ट्रपति, भारत के मित्रों में से थे। उनके चले जाने से भारत ने अपना एक बहुत महत्वपूर्ण मित्र खो दिया है। मैं अपनी और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और सोवियत संघ इस सारे झटके को बर्दाश्त कर सके, भगवान से यह प्रार्थना करता हूं।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, सोवियत संघ के दिवंगत राष्ट्रपति चेर्नेन्को साहब ने अपने देश की रहनुमाई की। उनका देश हमारे देश का एक मित्र देश है, बहुत बड़े मित्र देशों में से एक है। चेर्नेन्को साहब ने भी निरन्तर रूप से हिन्दुस्तान के साथ मैत्री का हाथ बढ़ाया और मैत्री को आगे बढ़ाया।

इतना ही नहीं, इस दुनिया में अमरीका और रूस, जो दो बड़ी विश्व शक्तियां हैं उनमें निरस्त्रीकरण को लेकर और परमाणु अस्त्रों को लेकर जो एक ठहराव की स्थिति आ गई थी, चेर्नेन्को साहब

(श्री नत्थीसिंह)

को यह यश जाता है कि उन्होंने वार्ता को दुबारा शुरू किया और उस ठहराव को तोड़ा और दुनिया को विश्व शान्ति की ओर अग्रसर किया।

ऐसे महान् नेता को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे दोनों देशों के सम्बन्ध प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर, उनके जो उत्तराधिकारी हैं वह बनायेंगे।

श्री रामचन्द्र जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में बड़ा दुख का विषय है कि सोवियत रूस के दिवंगत राष्ट्रपति महोदय अपनी अस्वस्थता के कारण उनके देश की सेवा नहीं कर सके, लम्बी अवधि तक और भारत और रूस के बीच में जो प्रगाढ़ सम्बन्ध थे उसमें अधिक समय तक अपना योगदान नहीं दे सके।

भारत और रूस की मैत्री, सर्व विदित है, सर्वव्यापी है। हम आशा करते हैं कि उनके उत्तराधिकारी के नेतृत्व में भारत और रूस की जो प्रगाढ़ मैत्री है वह दिन दूनी, रात चौगुणी और मजबूत रहेगी और जो साम्राज्यवादी ताकतें इस मैत्री को तोड़ना चाहती हैं वह अपने मनसूबों में सफल नहीं होंगी।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से सोवियत रूस के जो दिवंगत राष्ट्रपति चेर्नेन्को महोदय हैं; श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो सदन में कहा गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कोंस्तांतिन यू. चेर्नेन्को, रूस के राष्ट्रपति का निधन देश के ही नहीं दुनिया के शान्ति प्रेमी लोगों को एक बहुत बड़ा धक्का है। विश्व शान्ति के वे अग्रदूत की भूमिका अदा कर रहे थे।

जेनेवा में नाभिकीय अस्त्रों के बारे में जो बातचीत में ठहराव आ गया था, वही व्यक्ति थे जो एक बहुत बड़े खतरे को उन्होंने कम किया और जेनेवा में फिर बातचीत शुरू की। ये सारा श्रेय यू. चेर्नेन्को को ही जाता है।

इसके साथ-साथ हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि रूस के राष्ट्रपति, चेर्नेन्को की दिलचस्पी हिन्दुस्तान के विकास में और दोस्ती में कितनी थी। चाहे वह कश्मीर का सवाल आये; चाहे सन् 1971 में बंगलादेश का सवाल आया उन्होंने निडर होकर एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभायी है। और अच्छे दोस्त की अगर कोई ऐसे मौके पर मृत्यु होती है तो स्वाभाविक बात है कि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान ने अपना एक मित्र खो दिया है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसी कामना के साथ कि हिन्दुस्तान और रूस की मित्रता हिन्दुस्तान के विकास के लिये उसी तरह से कायम रहेगी, उनको मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के विभिन्न दलों के नेताओं ने और सदन के नेता ने रूस के दिवंगत राष्ट्रपति श्री कोंस्तांतिन यू चेर्नेन्को

Page No.24

(श्री अध्यक्ष)

के देहावसान पर जो अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है उसमें मैं अपने आपको जोड़ता हूँ।

निस्संदेह रूस और भारत की मैत्री सर्वविख्यात हैं और उसमें श्री चेर्नेन्को की भूमिका अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वे इस मैत्री को और सुदृढ़ बनाने में लगे थे। भारत के एक निकट मित्र के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। भारत के विकास में, भारत की प्रगति में हमेशा उनका योगदान रहा है। ऐसे मित्र को खोने से निस्सन्देह दुःख होता है।

रूस को तो अपना दुःख है ही लेकिन भारत ने भी उसमें अपने आपको शामिल किया। हम भी उसमें अपने आपको शामिल करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे, रशिया को उनकी इस क्षति को सहन करने की शक्ति दे। यह भी कामना करते हैं कि रूस में आने वाला नेतृत्व निश्चित रूप से भारत की मैत्री को चेर्नेन्को के पथ प्रदर्शन पर चलते हुए, पथ पर चलते हुए प्रगाढ़ निर्वहन करेगा, मजबूत बनायेगा और यह मैत्री जो हमेशा से अच्छे मित्रों के रूप में आगे बढ़ी है, हमेशा-हमेशा बढ़ती रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी अपनी भाव-भीनी श्रद्धांजलि श्री चेर्नेन्को को अर्पित करता हूँ और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि दो मिनट के लिये खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्व. श्री लालसिंह शक्तावत,
पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा
को श्रद्धांजलि

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, श्री लालसिंह शक्तावत का 30 जनवरी, 1985 को देहावसान हो गया। वे प्रथम और द्वितीय विधान सभा के सदस्य रहे थे। वे अत्यन्त लगनशील एवं सदन के सक्रिय सदस्य थे। पहली बार वे उदयपुर जिले के गिरवा निर्वाचन क्षेत्र से एवं दूसरी बार चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए थे 1952 में वे राजस्थान विधान सभा के लिये निर्विरोध उपाध्यक्ष भी चुने गये थे। उनके निधन से हमारे बीच में से एक लगनशील नागरिक ही नहीं बल्कि परम धार्मिक व्यक्ति उठ गया।

मैं दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री लालसिंह जी शक्तावत प्रथम और द्वितीय विधान सभा के सदस्य रहे थे। व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने का मुझे भी अवसर मिला है। विचारों की दृष्टि से धार्मिक और राष्ट्र की दृष्टि से पूर्ण समर्पित इस प्रकार का वह व्यक्तित्व था जिसने प्रथम और द्वितीय

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

विधान सभा के सत्रों में अपनी गहरी छाप छोड़ी और अच्छी परम्पराएं बनायी हैं।

मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, शक्तावत साहब जहां धार्मिक प्रवृत्ति के थे, मेहनतकश किसान और दूसरे लोगों के हिमायती थे, वहां, अभी सदन के नेता महोदय ने कहा, उन्होंने 1952 में उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाकर इस सदन का मार्गदर्शन भी किया।

मैं उन्हें अपनी ओर अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन की सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम एक परम्परा, जो हमारे प्रथम सदन में बनी थी कि अध्यक्ष जहां सत्तारूढ़ दल के हों तो उपाध्यक्ष निर्विरोध रूप से विपक्ष का हो, उसका प्रतीक शक्तावत साहब को मानते हुए हम निश्चित रूप से इस सदन में उस परम्परा को पुनर्जीवित करें कि उपाध्यक्ष निर्विरोध रूप से विपक्ष का होना चाहिये। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

श्री रामचन्द्र जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री लालसिंहजी शक्तावत प्रथम विधानसभा के सर्वसम्मत निर्वाचित अध्यक्ष थे। सदन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में जो प्रजातन्त्र की स्वस्थ परम्पराएं डाली गयीं, जो सदन की गरिमामय कार्य प्रणाली के लिये डाली गयीं उसमें श्री लालसिंहजी शक्तावत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज भी स्वस्थ परम्पराओं के अनुसार हम और आगे बढ़ने की कामना करते हैं।

श्री लालसिंहजी शक्तावत ने अपने राजनीतिक कार्यकलाप के पश्चात् सामाजिक और धार्मिक कृत्यों में विशेष रुचि ली। मेवाड़ क्षेत्र में वे अपनी इन धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण विशेष चर्चा के और आदर के पात्र रहे हैं। ऐसे माननीय सदस्य की मृत्यु पर हम सब शोकाकुल हैं।

मैं और मेरा दल उनको भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम विधान सभा में, इस हाऊस में मुझे याद पड़ता है थोड़ा-थोड़ा, दोनों तरफ इन्टेलेक्चुअल जायंट्स बैठा करते थे बहुत बड़े धुरन्धर वक्ता हम प्रथम विधानसभा की बहस का स्तर देखें और उन वक्ताओं की तरफ देखें कि किस तरह के धुरन्धर थे, उस हालात के अन्दर जबकि विरोधी पक्ष का बहुत कम फर्क था, एक का या दो का था बड़ी बैलेंस्ड सिचुएशन उस समय की सिचुएशन थी, उन हालात में उन दिग्गजों के बीच में जोशी जी अध्यक्ष हुआ करते थे और शक्तावत साहब उपाध्यक्ष थे। उन्होंने इस सदन की गरिमा को बहुत ऊंचा उठाया, सदन के अन्दर बहस के स्तर को बहुत ऊंचा रखा। मुझे याद पड़ता है, मुझे इत्तफाक हुआ इधर आने का एक दफा, उनको रूलिंग, उनका जो तरीका था वह बेहद ही नफीस था। न उन्होंने कभी किसी को शायद शिकायत करने का मौका दिया, न सत्ता पक्ष को इतना मदमस्त होने

(श्री शोपतसिंह)

दिया विरोध पक्ष को कभी उलझने दिया। वह कला, वह बात मैंने देखी थी जो कि मुझे याद है सारी बातें। मैं चाहूंगा कि सदन इस तरह के हमारे जो उपाध्यक्ष रहे हैं, वे जिस तरह सदन की कार्यवाही का संचालन करते रहे हैं; हमें भी उन्हीं परम्पराओं का पालन करना चाहिए, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री लालसिंह जी शक्तावत के निधन पर सदन के नेता और अन्य दलों के नेता महोदयों ने जो श्रद्धांजलि के रूप में अपनी भावना व्यक्त की मैं उनके साथ में अपने आपको जोड़ता हूं।

श्री लालसिंह जी शक्तावत उदयपुर जिले से थे। राजनीति में आने से पूर्व वे तत्कालीन मेवाड़ सरकार के कुशल प्रशासकों में से एक प्रशासक थे। उस दृष्टि से भी आज उन्हें याद किया जाता है। राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र की सेवा में अपना जीवन लगाया और दो बार प्रथम और द्वितीय विधान सभा के वे सदस्य रहे। सदन के उपाध्यक्ष के रूप में भी प्रथम विधान सभा में वे रहे।

राजनैतिक जीवन के बाद उन्होंने अपने आपको सामाजिक सेवा के साथ जोड़ा और खास तौर से धार्मिक सेवाओं में अधिक रुचि उनकी रही। इस प्रकार से संन्यास आश्रम वे व्यतीत कर रहे थे, समाज को काफी लाभ उनसे मिल रहा था। उनके निधन से राजनैतिक क्षेत्र में भी क्षति हुई है और सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी एक क्षति हुई है–इसका हमें अत्यन्त दुख है।

मैं अपनी ओर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके परिवार को परमात्मा ऐसी शक्ति प्रदान करे कि वह इस क्षति को सहन कर सके और उनकी आत्मा को शांति दे।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दो मिनट के लिए मौन खड़े हों।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्व. लेफ्टिनेन्ट कर्नल श्री बिशनसिंह पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा को श्रद्धांजलि

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय ले. क. श्री बिशनसिंह जी प्रथम विधान सभा में पाली के सोजत निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से विजयी हुए थे। इस सदन के वे सक्रिय सदस्य थे और सामाजिक कार्य में काफी दिलचस्पी लेते थे। उनका देहावसान 14 नवम्बर, 84 को हुआ। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ले. क. बिशनसिंह जी की मृत्यु पर हम सब को दुःख है। मैं मेरी पार्टी की ओर से और मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार इस दुःख को सहन कर सके, भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, ले.क. बिशनसिंहजी के निधन पर मैं अपनी और अपने दल की ओर से शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को धीरज और शांति प्रदान करे।

श्री रामचन्द्र जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम राजस्थान विधान सभा के दिवंगत सदस्य श्री ले. क. बिशनसिंहजी के दुःखद निधन पर हम सब शोकाकुल हैं। मैं मेरी ओर से, मेरे दल के सभी सदस्यों की ओर से उन्हें हार्दिक और दुखभरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि उन्हें वे शांति प्रदान करे और उनके परिवार जनों को यह असहनीय क्षति वहन करने की शक्ति दे।

श्री शोपतसिंह माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ले. क. बिशनसिंहजी की दुखद मौत पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ले. क. बिशन सिंह जी इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं। उनकी दुखद मृत्यु पर सदन के नेता और विभिन्न दलों के नेता महोदय ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है मैं उसमें अपने आपको जोड़ता हूं। उनकी दुखद मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इन शब्दों के साथ मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह दो मिनट के लिए मौन खड़े हों।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)।

स्व. श्री गंगासिंह, पूर्व सदस्य राजस्थान विधान सभा को श्रद्धांजलि

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री गंगासिंह जी तृतीय विधानसभा के हिंडोली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। इससे पूर्व वे पंच, सरपंच और दूसरे स्थानीय पदों पर रहकर सेवा कार्य करते रहे। वे अपने क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्त्ता थे एवं आदिवासियों की उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे थे। उनकी लोक गीतों और समाज सुधार में विशेष रुचि थी। उनके निधन से एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्त्ता हमारे बीच में से उठ गया। मैं दिवगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गंगासिंहजी तृतीय विधान सभा के सदस्य थे, को मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिवार इस आघात को सहन कर सके, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री गंगासिंह जी दुखद निधन पर मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रामचन्द्र जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, तृतीय विधान सभा के श्री गंगासिंह जी की दुखद निधन पर हम सभी शोक संतप्त हैं। हमारे सदन के नेता महोदय ने और अन्य दलों के नेता महोदय ने जो अपनी भावना व्यक्त की, उसमें मैं अपनी भावना को सम्मिलित करते हुए उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, तृतीय विधान सभा के सदस्य श्री गंगासिंह जी के दुखद निधन पर मैं अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह जी, जो तृतीय विधान सभा के सदस्य रहे हैं, दुखद मृत्यु पर सदन के नेता और विभिन्न दलों के माननीय नेता महोदय ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की उसके साथ मैं भी अपने आपको जोड़ता हूं और अपनी ओर से इस दुखद मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

शोक संतप्त परिवार को परमात्मा यह शक्ति दे कि वे इस दुख को सहन कर सकें और उनकी आत्मा को शांति दे।

दो मिनट के लिए मौन खड़े हों।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्व श्री हजारीलाल शर्मा, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा को श्रद्धांजलि

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, स्व. श्री हजारीलाल शर्मा प्रथम विधान सभा में 1952 के आम चुनावों में कोटपूतली निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये थे। स्वर्गीय श्री शर्मा जी विभिन्न प्रतिभाओं के धनी थे। उन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया और वे उस संघर्ष में एक लोकप्रिय विद्यार्थी नेता के रूप में उभरकर सामने आये। उनकी साहित्य और पत्रकारिता में बड़ी रुचि थी। जयपुर से प्रकाशित दैनिक 'राष्ट्रदूत' के वे प्रबन्ध सम्पादक थे। उनके निधन से हमारे बीच में से एक प्रमुख समाजसेवी उठ गये हैं।

मैं दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम विधान सभा के सदस्य के रूप में श्रीमान् हजारीलालजी शर्मा थे। अभी हाल में इस असार संसार को वे छोड़कर चले गये। स्वतन्त्रता सेनानी, कलम के धनी और समस्याओं को ठीक रूप से उजागर करने वाले एक नेता हमारे बीच में नहीं रहे। मैं अपनी और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे यही प्रार्थना करता हूं।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रथम

(श्री नत्थीसिंह)

विधान सभा के सदस्य, श्री हजारीलालजी शर्मा जहां स्वतन्त्रता सेनानी रहे वहां उन्होंने राजस्थान में निर्भीक पत्रकारिता को बढ़ावा दिया। एक प्रकार से मैं आधुनिक युग में जनतन्त्र के बाद प्रदेश में पत्रकारिता की शुरुआत करने वालों में उनकी गिनती करता हूं। वे स्वयं में एक संस्था थे। जहां वे अत्यन्त स्नेही थे, लोगों को स्नेह देते थे उसके साथ-साथ वे पूर्णतः निर्भीक थे। जनतन्त्र में निर्भीक पत्रकारिता की आवश्यकता होती है, वे उसके प्रतीक थे।

मैं उन्हें अपनी ओर से, अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति और शोक संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष जी, श्री हजारीलालजी शर्मा विधान सभा के सदस्य रहने के अलावा, उनकी उपलब्धियां विधान सभा के सदस्य से और अधिक बड़ी हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी यह है कि उन्होंने हिन्दी की बहुत बहुत बड़ी सेवा की 1950-51 में पश्चिमी बंगाल में नागरी प्रचारिणी सभा का निर्माण किया और सुनीतिकुमार चटर्जी की अध्यक्षता में पश्चिमी बंगाल में हिन्दी को घर-घर पहुंचाने का काम उन्होंने किया। यह सर्वविदित है सन् 1951 में उन्होंने राजस्थान में दैनिक अखबार राष्ट्रदूत की स्थापना की जिसकी शाखाएं कोटा, और बीकानेर में आज भी कायम हैं। इससे भी अधिक उनकी सेवायें हैं। आयुर्वेद विज्ञान के माध्यम से उन्होंने घर-घर सस्ती दवायें वैद्यनाथ प्राणदा के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाने का बड़ा भारी काम किया। इस संस्थान की स्थापना व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा की भावना से प्रेरित होकर इन्होंने इस काम को किया।

इन गतिविधियों के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्र में उनका स्वयं का बड़ा भारी स्थान था। भारतीय क्रांति दल की राजस्थान में स्थापना में वे अग्रणी लोगों में थे, अग्रणी नेताओं में थे। राजनीति के सजग प्रहरी थे। राजनीति के साथ में पत्रकारिता, पत्रकारिता के साथ में आयुर्विज्ञान के माध्यम से सेवा, इन सब गतिविधियों को करके उन्होंने अपना स्थान राजस्थान के जन-जीवन में जो बनाया है, वह अविस्मरणीय रहेगा। विधान सभा सदस्य के नाते भी उनकी सेवा और उनके विचार अविस्मरणीय रहेंगे।

श्री हजारीलाल शर्मा के निधन से राजस्थान में जो क्षति हुई है उस क्षति की क्षति पूर्ति निकट भविष्य में सम्भव नहीं है। मैं मेरे दल की तरफ से और मेरी तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री शोवर्तसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम विधान सभा के सदस्य श्री हजारीलालजी शर्मा की दुःखद मौत पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हजारीलालजी शर्मा जो प्रथम विधान सभा के सदस्य रहे और जिनकी अभी दुःखद अवस्था में मृत्यु हुई

(श्री अध्यक्ष)

के प्रति सदन के नेता महोदय ने और विभिन्न दलों के नेता महोदय ने जो भाव भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ता हूं।

श्री हजारीलालजी शर्मा स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी रहे। उनका अपना एक इतिहास स्वतन्त्रता संग्राम का रहा है। उसके बाद प्रान्त के विकास में, राजनैतिक क्षेत्र में रहते हुए भी और खास तौर से पत्रकारिता के क्षेत्र में आकर जो उन्होंने सेवायें दी हैं वे हमेशा के लिए याद रहेंगी, उनको भुलाया नहीं जा सकता। पत्रकारिता के अतिरिक्त भी समाज सेवा में उनका जीवन हमेशा लगा रहा। आयुर्वेद के क्षेत्र में उन्होंने अपनी सेवायें दी जो आज न केवल राजस्थान तक सीमित हैं वरन आज सारे देश में उनमें इसका लाभ गरीब लोगों को मिल रहा है। ऐसे समाजसेवी का निधन निसन्देह हमारे लिए दुःख का विषय है।

मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक सतप्त परिवार को परमात्मा वह शक्ति दे जिससे वो इस दुख को सहन कर सकें, मैं यह प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को शान्ति दे, इसके लिए प्रार्थना करता हूं।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे दो मिनट खड़े होकर मौन रखें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्व. श्री विश्वम्भरनाथ जोशी, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा को श्रद्धांजलि

श्री हरिदेव जोशी (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री विश्वम्भरनाथ जोशी विद्यार्थी जीवन से ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते थे। अपने विद्यार्थी काल में उन्होंने देश की आजादी के लिए विद्यार्थियों को संगठित करने का प्रयत्न किया। सन् 1944 में वे जयपुर राज्य प्रजामण्डल के सक्रिय सदस्य बने। स्व. श्री विश्वम्भरनाथ जोशी प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ विधान सभा के सदस्य रहे। वे राजस्थान सरकार में राज्य मन्त्री भी रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर विभिन्न पदों पर रहकर सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यों में भाग लिया। उनके देहावसान से न केवल उनके परिवार को बल्कि उनके मित्रों को भी अपूरणीय क्षति हुई है।

मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विश्वम्भरनाथ जोशी के सत्ता पक्ष में और विपक्ष में दोनों ही दृष्टियों से राजनैतिक क्षेत्र में राजस्थान की धरती पर कुशलतापूर्वक कार्य थे। उनकी सेवायें राजनैतिक क्षेत्र में सभी दृष्टि से अनुकरणीय है।

Page No.31

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और शोक सन्तप्त परिवार को धैर्य बन्धाने में सहयोग करे।

श्री नत्थीसिंह: अध्यक्ष महोदय; श्री विश्वम्भर नाथ जी जोशी स्वतन्त्रता सेनानी होने के साथ-साथ एक कुशल नेता और अच्छे प्रशासक, ईमानदार राजनीतिज्ञ; अच्छे संगठनकर्ता थे।

मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। काफी दिन तक वे अपने कार्यकर्ताओं को जो स्नेह देते थे उसे भुलाया नहीं जा सकता। बहुत ही प्रेम के साथ लोगों को बढ़ावा देने की उनमें अभिलाषा रहती थी और वे प्रेरणा देते थे। ऐसे श्री वी. एन. जोशी हमारे बीच नहीं रहे, यह वास्तव में हृदय को एक आघात पहुंचाने वाली बात है।

मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से ऐसे विद्वान व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, शोक संतप्त परिवार को धीरज दे इसकी कामना करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराना : श्री विश्वम्भर नाथजी जोशी इस सदन के अधिकतर सदस्यों से बखूबी परिचित हैं। श्री जोशी के निधन से राजनीति का एक महारथी तो उठ ही गया लेकिन इसके साथ ही उनकी जो पहुंच साहित्य में थी उस पहुंच का सानी भी आज मेरे ख्याल से राजस्थान में और दूसरा नहीं है।

श्री जोशी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान यह था कि वे अंग्रेजी साहित्य के प्रकाण्ड पण्डित थे। अमरीकी के अंग्रेजी साहित्य का जितना ज्ञान श्री विश्वम्भर नाथ जी जोशी को था, उसके लिए विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और लेक्चरर उनको यदा कदा अपनी बैठकों में निमन्त्रित करते रहते थे और उनके विवेक से और उनके ज्ञान से वे लाभान्वित होते रहते थे।

राजनीति में राजनीति से उतर दूसरे विषयों में जो रोजाना अध्ययन करते रहे, ऐसे लोगों की कमी आज की राजनीति में है। इस नाते श्री जोशी उन अद्वितीय व्यक्तियों में से हैं कि जो राजनीति के साथ-साथ साहित्य के अन्दर भी निरन्तर रुचि रखते थे और अपने समय में से रोजाना तीन-चार घन्टे अध्ययन में व्यतीत करते।

मैं इस नाते उन्हें अपने दल की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोशीजी का निधन मेरे जैसे एक कार्यकर्ता के लिये बहुत ही घातक चोट है। मुझे याद है, जब भी वह सुबह घूमने आया करते थे, मेरे से उनका विशेष स्नेह था वह एक बहुत ही अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे, वे मुझे गुर बताया करते थे कि कौन कौन से सवाल कैसे-कैसे उठाने हैं। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि मैं एक ऐसे मार्ग दर्शक को खो चुका हूं जिसका जीवन बड़ा सीधा-साधा था। उनके दुखद निधन पर मैं अपनी

(श्री शीपतसिंह)

पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्वम्भरनाथ जोशी जिनको आम तौर से बी. एन. जोशी के नाम से जाना जाता रहा है, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम विधान सभा के सदस्य रहे हैं।

श्री जोशीजी से मेरा निकट सम्बन्ध रहा है। उनके साथ में सन् 1967 से 72 तक विधान सभा में काम करने का मुझे भी अवसर मिला। जोशीजी एक कुशल प्रशासक थे। राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ वह एक समाजसवी भी थे। उनकी समाज सेवा में रुचि थी। मधुर भाषी, व्यवहार कुशल व्यक्तित्व उनका था। अचानक उनका हमारे बीच से उठ जाना, जब यह खबर सुनी तो एकाएक विश्वास नहीं हुआ क्योंकि दो-तीन दिन पूर्व ही वे मुझसे मिले थे। कभी ऐसा लगता नहीं था कि जोशी जी इस प्रकार हमारे बीच में से चले जायेंगे। जिस क्षेत्र के वे नेता रहे उस क्षेत्र को तो अपना एक विशेष प्रकार का नुकसान है ही लेकिन राजस्थान को भी उनकी सेवाओं से वन्चित रहने का भारी नुकसान हुआ है उसको भुलाया नहीं जा सकता। जोशीजी की तस्वीर आज भी हमारे सामने हमें यूं दिखती है जैसे जोशीजी आज हमारे बीच में है। उनका सरल व्यवहार हमेशा हमेशा याद आता रहेगा। अचानक उनकी इस प्रकार मृत्यु हो जाने से दुख हुआ है।

सदन के नेता ने और विभिन्न दलों के माननीय नेता महोदय ने श्रद्धांजलि के स्वरूप जो भावना व्यक्त की है, मैं भी अपने आपको उसके साथ में जोड़ता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे, शोक सन्तप्त परिवार को इस क्षति को वहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धान्जलि अर्पित करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिये बढाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की स्वीकृति है? (स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

स्व. श्री दीनबन्धु परमार, पूर्व सदस्य राजस्थान विधान सभा को श्रद्धांजलि

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री दीनबन्धु परमार डूंगरपुर जिले के कोट-बिड़ला गांव के निवासी थे। वे प्रथम राजस्थान विधान सभा में उदयपुर जिले से सदस्य चुने गये थे। बचपन से ही

(श्री हरिदेव जोशी)

वे भीलों के आर्थिक सुधार और राजनैतिक जागृति के लिए योगदान करते रहे थे। उन्होंने आदिवासियों की उन्नति आदि के लिये कार्य किया। उनके निधन से आदिवासियों का एक प्रमुख कार्यकर्ता हमारे बीच में से उठ गया है। मैं दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम विधान सभा के सदस्य, आदिवासी नेता श्री दीनबन्धु परमार के निधन पर मैं मेरे दल की ओर से और मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रथम विधान सभा के सदस्य, श्री दीनबन्धु परमार और आदिवासियों की सेवा में रत रहने वाले व्यक्तित्व को मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय मैं भीलों की सेवा करने वाले श्री दीनबन्धु परमार का मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम विधान सभा के सदस्य, श्री दीनबन्धु परमार की दुःखद मृत्यु पर अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दीनबन्धु परमार जो कि प्रथम विधान सभा के सदस्य रहे और आदिवासी क्षेत्र के एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में रहे, उनके अचानक स्वर्गवासी हो जाने पर सदन के नेता और विभिन्न दलों के माननीय नेता महोदयों ने जो भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है उसके साथ में मैं अपने आपको जोड़ता हूं।

श्री दीनबन्धु परमार अभी नौजवान लगते थे। ऐसा लगता नहीं था कि वे अचानक हमारे बीच से चले जायेंगे। आदिवासी क्षेत्र को तो भारी क्षति उनके चले जाने से हुई है।

मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके परिवार को इस क्षति को वहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यों से निवेदन है वे दो मिनट मौन खड़े रह कर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्थान ग्रहण करें।

स्व. श्री जैसाराम, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा को श्रद्धांजलि

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री जैसारामजी पांचवीं विधान सभा में कांग्रेस टिकट पर सिवाना निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए थे। वे विधान सभा में हरिजनों की समस्याओं को प्रमुख रूप से रखते थे और उनके सक्रिय सहायक थे।

(श्री हरिदेव जोशी)

उनके निधन से एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच में से उठ गया है।

मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जैसाराम पंचम विधान-सभा के सदस्य थे। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, पंचम विधान सभा के सदस्य, श्री जैसारामजी, जो कि हरिजनों के हिमायती थे, को मैं अपनी ओर अपने दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्षजी, जैसारामजी जो पंचम विधान सभा के सदस्य रहे; जो हरिजनों की समस्याओं को नित्य प्रति अपने कार्यकाल में विधान सभा में उठाते रहे थे; उनको मै अपने दल की की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राज्य सरकार की सच्ची श्रद्धांजलि श्री जैसाराम को तभी समझी जायेगी जबकि मुख्य मन्त्री जी निकट भविष्यमें किसी हरिजनको केबिनेट स्तरका दर्जा देंगे तभी वह सच्ची श्रद्धांजलि मेरी समझ में राज्य सरकार की ओर से होगी।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचम विधान सभा के सदस्य श्री जैसारामजी के दुःखद निधन पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जैसारामजी, जो इस सदन के पंचम विधान सभा के सदस्य रहे हैं और जिनका स्वर्गवास हुआ है, उस पर सदन के नेता और सदन के विभिन्न दलों के माननीय नेता महोदय ने श्रद्धांजलि स्वरूप जो भावना प्रकट की हैं, उसमें मैं अपने आपको जोड़ता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें और शोक सन्तप्त परिवार को वह शक्ति दे जिससे वह इस दुःख को सहन कर सकें।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि दो मिनट मौन रखें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

स्व. श्री केसरीचन्द चौधरी, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा को श्रद्धांजलि

श्री हरिदेव जोशी : श्री केसरीचन्द चौधरी देश की आजादी से पहले किशनगढ़ राज्य प्रजामण्डल के सदस्य के रूप में राजस्थान में सक्रिय कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के जरिये सामाजिक और राजनैतिक कार्य किये। वे सातवीं विधान सभा के सदस्य चुने गयेथे। विधान सभा में भी वे एक सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करते रहे थे। वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री थे। उनके निधन से हम सबको बड़ी दुविधा हुई है।

मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी

(श्री हरिदेव जोशी)

श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके सन्तप्त परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्तम विधान सभा के सदस्य, श्री केसरी चन्द चौधरी के निधन के कारण जो रिक्तता उनके परिवार में निर्मित हुई है; भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनको धैर्य बंधाये।

श्री केसरीचन्द चौधरी ने संगठन और सत्ता में बैलेन्स रखकर सदा संगठन को बहुत महत्व दिया। उनका यह कार्य अत्यन्त अनुकरणीय है।

मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, सप्तम विधान सभा के सदस्य, श्री केसरी चन्द चौधरी को मैं विधायक के रूप में कम और एक कुशल संगठक और परिश्रमी कार्यकर्त्ता के रूप में अधिक जानता हूं। वे एक बहुत ही अच्छे साथी थे और संगठन में और राजनीति में प्रबुद्ध रूप से रुचि लेते थे। उनके निधन से जो क्षति हुई है उसके लिए उनके परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति परमात्मा दे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं और दिवंगत आत्मा को शान्ति दे, इसकी कामना करता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : सप्तम विधान सभा के सदस्य, श्री केसरी चन्द चौधरी को मैं वर्षों से जानता हूं। श्री चौधरी राजनीति के प्रमुख व्यक्तियों में से थे। बड़े उत्साही, बड़े लगनशील थे और राजनीतिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में हमेशा व्यस्त रहते थे। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उनको विधान सभा का कोई पद मिला या नहीं मिला, संगठन में भी पद उनको मिला या नहीं मिला। वे सतत् रूप से राजनीति में सक्रिय रहे। उन सेवाओं का ही यह नतीजा था कि वे सप्तम विधान सभा के सदस्य चुने गये। कांग्रेस (आई) के प्रान्तीय संगठन के वे महामंत्री थे। राजनीति में यदि उनकी आयु कम न होती तो निश्चित रूप से और अधिक ऊंचाइयों को वे प्राप्त करते।

मैं मेरे दल की ओर से और मेरी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को यह शक्ति प्रदान करे कि वह उनकी असहनीय क्षति को बर्दाश्त कर सकें।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्तम विधान सभा के सदस्य श्री केसरी चन्द चौधरी के असामयिक निधन पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरी चन्द चौधरी जो सप्तम विधान सभा के सदस्य रहे हैं, असामयिक निधन पर सदन के नेता महोदय ने और सदन के विभिन्न दलों के नेता महोदय ने जो भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की उसके साथ मैं अपने आपको जोड़ता हूं।

निःसन्देह केसरी चन्द जी चौधरी

(श्री अध्यक्ष)

विधायक की अपेक्षा एक संगठनकर्ता और परिश्रमी कार्यकर्त्ता के रूप में अपना व्यक्तित्व उभारते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ काम करने का मौका कई बार मिला। उनका परिश्रम और उनकी निष्ठा जो काम के प्रति थी वह हमेशा याद रहेगी।

चौधरी जी का असामयिक निधन हमारे लिए दुःख का विषय है। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, शोक सन्तप्त परिवार को इस असहनीय क्षति को वहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि दो मिनट खड़े होकर मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

स्व. श्री राजा मानसिंह, पूर्व सदस्य राजस्थान विधान सभा को श्रद्धांजलि

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय राजा मानसिंह उन गिने-चुने लोगों में से एक थे जो प्रथम विधान सभा से लेकर सातवीं विधान सभा तक निरन्तर इस सदन के सदस्य रहे। वे सौम्य वृत्ति के व्यक्ति थे। अपने क्षेत्र में भी वह अत्यन्त लोकप्रिय थे। जिन परिस्थितियों में उनका देवावसान हुआ वे दुर्भाग्यपूर्ण थीं और इससे हम सबको अत्यन्त पीड़ा है। राजा मानसिंह का देहावसान जहाँ उनके परिवार के लिए एक क्षति है वैसे ही हम जैसे उनके मित्रों के लिए भी अपूरणीय क्षति है।

मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस सदन की ओर से उनके सन्तप्त परिवार को संवेदना प्रेषित करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजा मानसिंह आज अपने बीच में नहीं रहे। अपनी ओर से, पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। किन्तु यह समझता हूं कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तब होगी, राजनीति में जो हिंसा को स्थान प्राप्त हुआ है उसको हम सब मिलकर समाप्त करें, ऐसे कठोर कदम उठायें ताकि इस प्रकार की हिंसा की पुनरावृत्ति राजनीति में कभी न हो। शायद हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न आज यही आकर खड़ा हो गया है और राज्य सरकार को इस नाते से अविलम्ब आगे आने की आवश्यकता है कि वह इस प्रकार के कदम उठाये जिसमें जिस प्रकार से हिंसा भड़काई गई है, हुई है, उसको तुरन्त सब प्रकार से समाप्त किया जा सके।

मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओरसे दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को जो क्षति हुई है वह तभी पूरी होगी जब कुछ प्रश्नवाचक

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

चिन्ह जो लग गये हैं उनको हटाने के लिए हम सब कमर कस कर आगे आयेंगे।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सदन और राजा मानसिंह एक दूसरे से इस तरह जुड़े रहे कि आज के दिन राजा साहब के अभाव में इस सदन की कल्पना करना भी कठिन प्रतीत होता है। 1952 से लेकर जब तक वह जीवित रहने दिये गये तब तक निरन्तर इस सदन के निर्दलीय सदस्य रहे। दो ही सदस्यों के बारे में यह कहा जाता रहा कि इस सदन के निरन्तर सदस्य चले आ रहे है, एक जो हमारे आज सदन के माननीय नेता हैं, दूसरे राजा मानसिंह। लेकिन राजा मानसिंहजी की खूबी यह थी की वह किसी पार्टी से बिना जुड़े निरन्तर निर्दलीय के रूप में सदन के सदस्य चुन कर आते रहे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, चाहे उनका कोई समर्थक हो, चाहे उनका विरोधी हो, समान रूप से उसको स्नेह देते थे।

मुझे उनके साथ रहने का, उनके विरोध में रहने का, चुनाव लड़ने का मौका भी आया लेकिन कभी मैंने उनके प्रेम और स्नेह में कोई कमी नहीं पाई। भरतपुर में, राजस्थान में और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में अटूट रूप से लोग उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते रहे हैं। आज जब उनकी हत्या हुई है, निसन्देह रूप से हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा जनसंख्या का भाग इस बात से पीड़ित है और यह सोचता है कि क्या इस देश में जनतन्त्र को हिंसा के रास्ते समाप्त करने की कोई साजिश रची गई है?

अभी थोड़ी देर पहले हमने स्वर्गीय आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी हत्या बड़ी दुःखद हुई, शर्मनाक हत्या हुई। लेकिन उनकी हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा की गई। राजा मानसिंह जी की जो हत्या हुई, बीच बाजार में हत्या हुई, दिन-दहाड़े हत्या हुई लेकिन हत्या उनके द्वारा की गई जो अपने-आपको राज्य और जनता की रक्षा करने का दावा करते हैं। किस तरह से हत्या हुई, इस पर आज मैं नहीं जाना चाहता, यह अलग से विषय है। लेकिन निश्चित रूप से मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि आज हमारी राज्य सरकार अगर निश्चित रूप से राजा मानसिंह जी की हत्या से शोकाकुल है, तो आज की तारीख तक, आज पूरा एक महीना हो गया, आज नहीं कल 21 तारीख हो जाएगी, पिछली 21 तारीख को उनकी हत्या की गई थी लेकिन जनमानस यह पूछ रहा है कि हत्यारों के साथ हमारी सरकार ने सलूक क्या किया?

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी श्रद्धांजलि केवल जुबानी नहीं होनी चाहिये, उसमें कुछ वास्तविकता भी हो, उसमें कुछ यह हिम्मत भी हो कि हम जनतन्त्र को जीवित रखने के लिये कारगर कदम उठाने में नहीं हिचकते।

राजा साहब की हत्या होते हुए तीन नेतृत्व इस प्रकार बदल गये लेकिन अभी तक कोई-सा भी नेतृत्व जनमानस को यह

(श्री नत्थीसिंह)

सांत्वना नहीं दे पाया कि हां, शोकाकुल नर-नारियों, जो राजा मानसिंह जी की हत्या से शोकाकुल हैं, को कोई ऐसे सांत्वना देने वाला कदम उठा रहा है। इसलिए आज के दिन राजा साहब को मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस बात को सारा देश देख रहा है, सारी दुनियां देख रही है कि भरे बाजार में एक निहत्थे को चुनाव प्रचार करते जाते हुए, उसके साथ 72–72 वर्ष के दूसरे बुड्ढे ये मौत के घाट उतरवा दिया गया, उतार दिया गया उनके साथ जनतन्त्र की रक्षक सरकार क्या सलूक कर रही है ?

राजा मानसिंह तो अमर हो गये। भरतपुर को लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है और भरतपुर के इतिहास से हिन्दुस्तान की तवारीख में 2 आदमियों को याद किया जाता है महापुरुष के रूप में—एक महाराजा सूरजमल जो अपनी विद्वता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं और दूसरे उनके पुत्र महाराजा गिरिराज। लेकिन आज जन-जन जानता है कि राजा मानसिंह जी ने भरतपुर के इतिहास में यह तीसरा नाम जोड़ा है जिसे हम लोहागढ़ के रक्षक और प्रहरी के रूप में ही नहीं जनतन्त्र के रक्षक के रूप में भी याद करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जनतन्त्र के ऐसे रक्षक की जो हत्या हुई है, हत्यारों को सरक्षण मत दो, उनका साथ मत दो, उनका पर्दाफाश करो और जनता के सामने लाओ कि इस तरह से जनतन्त्र के साथ दगा करने वाले लोगों के साथ हम हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ निपटना जानते हैं। और तभी सच्ची श्रद्धांजलि राजा मानसिंह जी के प्रति होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपने परम प्रिय दिवंगत नेता राजा मानसिंह जी को अपनी ओर से और अपने दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक सन्तप्त परिवार को तो तभी शान्ति मिलेगी जब यह सदन और सरकार ऐसे कदम उठायेगी जिससे उन्हें शान्ति प्राप्त हो सके।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं मेरे पूर्व वक्ताओं के द्वारा व्यक्त भावनाओं में अपने आपको शामिल करता हूं। राजा मानसिंह जी की मृत्यु, मृत्यु नहीं है बल्कि साफ तौर पर एक हत्या है। यह हत्या इस बात का हल चाहती है कि क्या आज सन् 85 में लोक-प्रतिनिधियों को, जन-प्रतिनिधियों को देश की पुलिस दिन-दहाड़े अपनी गोलियों से उनका कत्ल करती रहेगी ? यदि सन् 85 में भी यह दिन देखने को मिलता है, यह सिर्फ राजस्थान का दुर्भाग्य नहीं है, यह जो हम यहां 197 आदमी बैठे हैं इन्हीं का दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि यह पूरे लोकतन्त्र का दुर्भाग्य है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्रद्धांजलि हम अर्पित कर रहे हैं, हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उस व्यक्ति को जो मुतवातिर, निरन्तर सन् 52 से जनता का विश्वास प्राप्त करके इस सदन का 7 बार सदस्य रहा और 8वीं बार भी उसको कोई भी बड़ी ताकत रोक नहीं सकती थी। तत्कालीन मुख्यमन्त्री, श्री शिवचरण जी माथुर ने

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चाहे हेलीकॉप्टर से दौरा किया हो इसके बावजूद अपने भाषण से वह इस विधान सभा में उनको आने से रोक नहीं सकते थे, वह निश्चित रूप से आते। पर एक-एक सीट को प्राप्त करने के लिए यह जो हत्या हुई है, हिंसा हुई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोकतन्त्र में जो चुन कर आये हैं, हमारे खुद के लिए, चाहे वे उधर बैठे हों, इस सदन में, चाहे वे इधर बैठे हों, उनके सोचने का प्रश्न है कि क्या हम इस बात को बर्दाश्त करेंगे और क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं करेंगे? राजस्थान की 3 करोड़ जनता इस बात का उत्तर चाहती है कि राजा मानसिंह की हत्या का जिम्मेदार कौन है? किस डीवाई. एस. पी. ने गोलियां चलाईं, जिस मुख्य मन्त्री के काल में यह घटना हुई; निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है। साफ तौर से कहा जा रहा है कि यह षड्यन्त्र है। तत्कालीन मुख्य मन्त्री उसमें शामिल है और बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े-बड़े अधिकारी शामिल हैं। आज की सरकार जो बनी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी से, क्योंकि वह भी मुतवातिर सन् 1952 से चुनते हुए आये हैं, जनता का विश्वास प्राप्त करके इस सदन के सदस्य बनते रहे हैं और आज पूरे सदन के नेता भी हैं, उनकी विशेष जिम्मेदारी इस बात की है कि पार्टी-गत स्वार्थों से ऊपर उठ कर सैद्धांतिक मुद्दे के तौर पर इस समस्या का समाधान करें। जुडिशियल इन्क्वायरी की रिपोर्ट का इन्तजार करने से काम चलने वाला नहीं है। कोटपूतली में गोलिया चलीं। आपने जुडिशियल इन्क्वायरी करा ली, उसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट के जजेज को इन मुद्दों को सौंपने से अधिक बेहतर यह है कि इसका इन्वेस्टीगेशन करवाया जाय, उच्च एजेन्सियों के द्वारा इसकी जांच करवाई जाय और जांच के द्वारा जो भी इसके लिए जिम्मेदार हों निश्चित रूप से 302 आई. पी. सी. ताजिराते हिन्द के मुकद्दमों में उनका तत्काल चालान किया जाय। तभी राज-स्थान की जनता का गुस्सा शान्त होगा। राजा मानसिंह की हत्या पर जिस तरह से राजस्थान बन्द हुआ—एक कोने से लगा कर दूसरे कोने तक, मुख्य मन्त्री जी इस बात से परिचित हैं कि कितना गुस्सा राज-स्थान की जनता ने व्यक्त किया है और निर्वाचन क्षेत्रों में इसकी चर्चा रही। 3 करोड़ लोगों में मुतवातिर इस बात की चर्चा रही और आज भी चर्चा है। इससे पहले जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था हमको मजबूरन राजा मानसिंह की हत्या के कारण ही उस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का बायकाट सारी विरोधी पार्टियों को करना पड़ा।

इसलिए मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मसले पर तत्काल फौरिक कोई कदम उठायें। मन्त्रिमण्डल में विचार करें और इस समस्या का निश्चित रूप से कोई उत्तर दें कि इस हत्या का कौन जिम्मेदार है?

मैं आखिर में, मेरे दल की तरफ से और मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि राजा मानसिंह को अर्पित करता हूं।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजा मानसिंह जी के साथ 3 विधान सभाओं 1957, 1962 और 1977 में कुछ अर्से के लिए साथ रहने का मौका मिला। वे बेहद सौम्य स्वभाव के थे। वह बहुत ही मृदुभाषी थे। समझ में नहीं आ रही बात कि राजस्थान के अन्दर इस तरह के व्यक्ति जो किसी पार्टी का नहीं रहा कभी भी, जो निर्दलीय के रूप में बैठता रहा और वह भी कोई 64 के करीब उम्र थी, एक बुजुर्ग राजनीतिक कार्यकर्ता को बेरहमी से सरे बाजार में मारा जाय—यह हो क्या रहा है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस जो बेलगाम हो रही है, आज तो उसने राजा मानसिंह को मारा, किसी और माननीय सदस्य की कभी कुछ हालत कर दे कोई भी पुलिस के ये बेलगाम हाकिम, तो क्या आप उसको लगाम नहीं देना चाहते ? क्या हम इससे सबक नहीं लेना चाहते ? क्यों छुपाये बैठे हैं ? कौन सा ऐसा सवाल आ गया जो तय नहीं होने जा रहा है ? एक महीना हो गया उनकी हत्या को। हमारी पुलिस, हमारी सरकार जिसमें केन्द्रीय सरकार भी दिलचस्पी रखती है, इस समस्या को हल नहीं कर सकती ? हमारे तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी, श्री माथुर साहब, जो इस सदन के भी सदस्य हैं, मुख्य मन्त्री पद क्यों छोड़ना पड़ा, यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जिस तरह के एक राजनीतिक कार्यकर्ता और सदन के सदस्य थे उस वक्त, चुनाव लड़ रहे थे। डेमोक्रेसी की बात मैं करूं तो आप शायद ठीक नहीं समझते या कभी मजाक करते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग, चुनाव में एक माननीय सदस्य की हत्या हो जाए, पुलिस के द्वारा हत्या हो जाए, क्यों हुई, किन हालात में हुई, कौन जिम्मेदार है, इस बात को साफ करना चाहिए था। जो नहीं हुई। एक माननीय सदस्य को सरे बाजार में, आप जिस तरह से नकली डकैत को नकली मुठभेड़ें बना बनाकर मारते थे, इसी तरह से एक नकली कहानी घड़कर आपने मारा है। आपके प्रशासन की पुलिस ने उसको मारा है। यह कलंक राजस्थान के माथे पर रहेगा हमेशा। आप अगर पुलिस को बचाना चाहते हैं, प्रशासन को ठीक ढंग से चलाना चाहते हैं, लॉ एण्ड आर्डर की हालत को ठीक रखना चाहते हैं और अगर राजनीति में कोई गरिमा को कायम रखना चाहते है और प्रजातन्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले यही एक श्रद्धांजलि होगी।

अभी हमारे नये मुख्य मन्त्री, श्री हरिदेव जी जोशी उनके साथ रहे हैं, क्या भरोसा कर सकते हैं जिस आदमी ने राजा मानसिंह से बात की, जो उनके व्यवहार में आया, जो उनके साथ रहा, क्या वह कोई 20, 25 साल का उग्रवादी था जो उसने ऐसी हरकतें की हैं ? ये क्या ख्वामख्वाह की कहानियां किस्से बना रहे हैं ! क्यों ऐसे हालात पैदा हुए जो बताये जा रहे हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही अर्ज करूंगा यह क्यों नहीं किया गया, यह क्यों नहीं बताया गया है, यह क्यों नहीं तय किया गया, क्यों नहीं जांच की गई

(श्री शोपतसिंह)

अब तक कि किन परिस्थितियों में मारे गये और कौन जिम्मेदार हैं उसके ? मुझे यही कहना है कि पुलिस प्रशासन को आप इतना बेलगाम मत छोड़िये । यह ऐसा हथियार है जो कभी आप पर भी चल सकता है और आज हम पर चल रहा है । मेहरबानी करके आप इस केस की जांच करवाइये, हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे; कौन थे, क्या बात थी ताकि यह भ्रम जनता में दूर हो जाय और जनता को सही हालात मालूम हों।

मैं उन्हीं शब्दों के साथ राजा मानसिंह जी की दुखद हत्या पर अपनी पार्टी की तरफ से खेद प्रकट करता हूं ।

श्री ब्रिजेन्द्रपालसिंह : सच्ची श्रद्धांजलि एक निर्दलीय की तरफ से भी होनी चाहिये, इसलिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं ।

राजा मानसिंह 52 से अब तक भी आते रहते अगर यह घटना नहीं होती तो। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूंकि जनता हवा में इन्दिरा हवा में उनकी हवा कोई नही चली और वह जीतते आये । मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह घटना अगर पाकिस्तान में होती तो हमें समझ में आ जाता, पर हिन्दुस्तान में हुई है, वह भी राजस्थान में हुई है, इसलिए समझ में नहीं आता ।

यह बात कहना जरूरी है कि अभी अभिभाषण के अन्दर राज्यपाल महोदय ने कहा कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, राजस्थान में । क्या राज्यपाल यह नहीं जानते कि राजा मानसिंह की हत्या हुई ? उनको भी कुछ कहना चाहिए था । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े से बड़ा कोई भी नेता हो, या आई. ए. एस. आफिसर हो, या आर. पी. एस आफिसर हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, दोषी जो भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए।

मैं निर्दलीय सदस्यों की ओर से सब की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : राजा मानसिंह जी इस सदन के प्रथम विधान सभा से सातवीं विधान सभा तक लगातार सदस्य रहे, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में मृत्यु हो जाना निःसन्देह दुःख की बात है । राजा मानसिंह को यह सदन अच्छी तरह से जानता है । जो भी इस सदन के सदस्य उनके साथ रहे, वे उनके व्यवहार से बखूबी परिचित थे । लोकप्रिय वे थे । अपने क्षेत्र से बार-बार चुन करके आना ही उनकी लोकप्रियता को साबित करता है, उनकी वहां पर प्रतिष्ठा को साबित करता है ।

मैं राजा मानसिंह जी को इस असामयिक मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे, शोक संतप्त परिवार को वह शक्ति दे जिससे वह असहनीय दुख को सहन कर सके ।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि दो

(श्री अध्यक्ष)

मिनट खड़े होकर मौन श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्थान ग्रहण करें।

स्व. श्री गुरुदीप सिंह पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा को श्रद्धांजलि

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, चतुर्थ विधान सभा में श्री गुरुदीप सिंह गंगानगर के श्रीकरणपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। 8वीं विधान सभा में भी वे इसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय निर्वाचित हुए थे किन्तु दुर्भाग्यवश उनका 19 मार्च, 1985 को देहावसान हो गया।

श्री गुरुदीप सिंह राज्य के उप मन्त्री भी रहे हैं। वे विधान सभा और उसके बाहर बहुत ही उत्साही कार्यकर्ता के रूप में माने जाते थे। उनके निधन से एक कर्मठ कार्यकर्ता हमारे बीच में से उठ गया।

मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गुरुदीप सिंह की लोकप्रियता इसी से प्रमाणित होती है कि जिस दिन से उन्होंने फार्म भरा, फार्म भरने के बाद ही सीधे अस्पताल में भर्ती हो गये, कोई भी समय वे वोटर्स से कान्टेक्ट नहीं कर सके उसके बावजूद अपनी लोकप्रियता के कारण चुनाव में जीत गये। सत्य में, उनका निधन एक दुर्भाग्यपूर्ण निधन है। वे एक अच्छे किसान प्रगतिशील किसान थे। किसानों की समस्या को सदा विधान सभा में उजागर भी करते रहे। आज वे हमारे बीच में से चले गये।

मैं मेरे दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शोक सन्तप्त परिवार को जो उन पर यह सारा आघात हुआ है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, चतुर्थ विधान सभा के सदस्य और राज्य के उप मन्त्री और इस विधान सभा में चुन कर आने वाले लेकिन हमारे बीच न बैठ पाने वाले श्री गुरुदीपसिंह को मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

वे जहां एक प्रगतिशील किसान थे वहां अत्यन्त लोकप्रिय और उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। जैसा मेरे पूर्ववक्ता महोदय ने कहा, उनकी लोकप्रियता तो इसी से सिद्ध है कि अस्पताल में बेहोश होते हुए भी जनता ने उन्हें अपना पूर्ण-पूर्ण समर्थन दिया। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उनके शोक सन्तप्त परिवार को परमात्मा धीरज दे, मैं यह कामना करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : श्री गुरुदीप सिंह जो चतुर्थ विधान सभा के सदस्य रहे, उप मन्त्री भी रहे। वे गंगानगर के जाने-माने किसान नेताओं में से थे। किसानों की समस्याओं में हमेशा उलझे रहते थे और उनकी समस्या के समाधान में अपना काफी समय व्यतीत करते थे। यह भाग्य का व्यंग्य है कि इससे पहले कि वे इस विधान सभा की शपथ लेते, आठवीं विधान सभा की, उसी दिन उनका निधन हो गया और विधान सभा में वे पहुंच नहीं सके।

मैं मेरे दल की तरफ से और मेरी ओर से श्री गुरुदीपसिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरदार गुरुदीपसिंह जी को काफी लम्बे अर्से से जानता हूं। वे कांग्रेस पार्टी में उप मन्त्री भी रहे। कांग्रेस छोड़ने के बाद गंगानगर जिले की समस्याओं के बारे में उनकी दिलचस्पी रही और हमारे संघर्ष में वे भागीदार रहे। अजीब विडम्बना है कि नोमीनेशन फार्म भरने के बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद वह सम्भल नहीं सके। बहुत कोशिश की गई मगर मौत ने उन्हें दबोच लिया।

उनके परिवार को शक्ति मिले, इस भावना से मैं आपकी मार्फत अवगत कराना चाहता हूं। उनकी आत्मा को शान्ति मिले, यही शब्द मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरुदीप सिंह चतुर्थ विधानसभा के सदस्य रहे। आठवीं विधान सभा के लिए वे निर्वाचित घोषित किये गये लेकिन दुर्भाग्यवश वे शपथ लेने से पूर्व ही हमारे बीच में से चल बसे, इसका हमें अत्यन्त दुख है।

श्री गुरुदीप सिंह जी की लोकप्रियता इसी से प्रकट होती है कि वे इस चुनाव में नोमीनेशन दाखिल करने के बाद मत-दाताओं से सम्पर्क करने में बीमारी के कारण असमर्थ रहे। लगातार बीमार रहे, अस्पताल से बाहर नहीं निकल सके लेकिन वे भारी बहुमत से जीत करके इस विधान सभा में निर्वाचित किये गये, यह उनकी लोकप्रियता का द्योतक है। वे अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, एक अच्छे किसान के रूप में जाने जाते रहे हैं। उनका हमारे बीच में से उठ जाना निसन्देह दुख की बात है।

मैं दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। शोक सन्तप्त परिवार को शक्ति दे इस बात की कि वे इस असहनीय दुख को सहन कर सकें, यह कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह दो मिनट के लिए खड़े होकर मौन श्रद्धां-जलि अर्पित करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े

(अध्यक्ष)

रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

स्व. श्री हाजी जान मोहम्मद, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा को श्रद्धांजलि

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय हाजी जानमोहम्मद पांचवी विधान सभा में कांग्रेस टिकट पर चिड़ावा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। वे चिड़ावा म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे। इसके सिवाय इन्सानी बिरादरी ऑफ इण्डिया, जमातुलइमामे हिन्द, वक्फ बोर्ड आदि के भी सदस्य रहे। इन संस्थाओं के जरिये उन्होंने सामाजिक सेवाओं का कार्य किया। अचानक उनका देहावसान हो गया और वे 17 मार्च, 1985 को हमारे बीच में से चले गये।

मैं दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा):माननीय अध्यक्ष महोदय, हाजी जान मोहम्मद साहब हमारे बीच में से उठ गये हैं। मै अपनी ओर अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को साहस और धैर्य दे।

श्री मत्यीसिंह : अध्यक्ष महोदय, हाजी जान मोहम्मद के निधन पर मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, हाजी जान मोहम्मद साहब के निधन पर मैं मेरे दल की ओर से और मेरी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पांचवीं विधान सभा के सदस्य हाजी जान मोहम्मद की अचानक मौत के समाचार से दुःखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी-अभी यह सूचना मिली है। इस सदमे को बर्दाश्त करने की शक्ति उनके परिवार को मिले, मैं आपकी मार्फत इस बात को वहां तक पहुंचाना चाहता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हाजी जान मोहम्मद जो पांचवीं विधान सभा के सदस्य रहे हैं, के देहावसान पर सदन के नेता और सदन के विभिन्न दलों के माननीय नेता महोदय ने जो श्रद्धांजलि स्वरूप भाव प्रकट किये हैं, मैं अपने आपको उसके साथ जोड़ता हूं।

हाजी जान मोहम्मद की दिवंगत आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, यह कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको अपनी श्रद्धांजजि अर्पित करता हूं।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह

Page No.45

(श्री अध्यक्ष)

दो मिनट खड़े होकर मौन श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 21–3–1985 क प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.37 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 21 मार्च, 1985 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित।)

परिशिष्ट

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

नवगठित आठवीं विधान सभा के इस प्रथम सत्र में, मैं आप सबके निर्वाचन पर बधाई देता हूं तथा स्वागत करता हूं।

इस विधान सभा में पिछली विधान सभाओं से कुछ विशेषतायें हैं। एक तरफ जहां पुराने कर्मठ एवं परिपक्व अनुभवी सदस्य हैं वहीं दूसरी ओर नयी उमंग और उत्साह से काम करने की भावना लिये हुये नये एवं युवा सदस्य यहां काफी संख्या में आये हैं। पिछली विधानसभाओं की तुलना में इस सभा में महिला सदस्यों की संख्या भी अधिक है जो इस बात का द्योतक है कि राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में महिलायें भी अपना उचित स्थान प्राप्त करने की ओर अधिक अग्रसर हैं। एक और विशेषता यह है कि इस सदन के माननीय सदस्य विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि से आये हैं, अतः उनमें इन सभी पहलुओं से सम्बन्धित ज्ञान एवं अनुभव निहित है। मैं आशा करता हूं कि उनके इस ज्ञान व अनुभव का लाभ इस सदन को राज्य के भावी विकास के लिए मिलता रहेगा।

मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि अनेक कठिनाइयों व असाधारण प्रतिकूल परिस्थितियों के उपरांत भी राजस्थान में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बहुत संतोषजनक रही है। तत्परता एवं सूझ-बूझ से कार्यवाही करने के फलस्वरूप ही पड़ौसी राज्य पंजाब में उग्रवादियों की गतिविधियों के विस्तार को राजस्थान में रोका जा सका है और सभी वर्गों के नागरिकों को पूरी सुरक्षा प्राप्त हुई है। स्वर्गीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के कारण हुई हिंसात्मक वारदातों की प्रतिक्रिया भी हमारे राज्य में समुचित प्रबन्ध होने के कारण नगण्य रही। इस दौरान राजस्थान में सुरक्षा हेतु कई व्यक्ति अन्य राज्यों से आये उनका राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त प्रबन्ध किया गया और बाद में उन्हें अपने स्थानों पर भेजने की व्यवस्था भी की गई।

यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि राज्य में साम्प्रदायिक सहयोग एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा व विपरीत घटनाएं नगण्य मात्र ही रहीं। यह भी बहुत हर्ष का विषय है कि राजस्थान की जनता ने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना सन्तुलन नहीं खोया तथा शांतिप्रिय व अनुशासित होने का परिचय दिया।

ऐसे असाधारण परिप्रेक्ष्य में पहले तो

लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधान सभा चुनाव, और दोनों ही एक-एक दिन में, बिना किसी उल्लेखनीय प्रतिकूल घटना के पूर्ण सफलतापूर्वक निष्पादित किये गये यह अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य में इस सम्बन्ध में की गई व्यापक व्यवस्था की भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मुक्त कण्ठ से सराहना की है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य की जनता ने भारत की अखण्डता में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए विघटनकारी कार्यवाहियों को स्पष्ट रूप से नकारा तथा प्रगतिशील नीतियों के लिए जो अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है व मार्गदर्शक का कार्य किया है उसके लिए वह बधाई की पात्र है।

राज्य सरकार ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी विकास की गति को पूर्णतया बनाए रखा। 20सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा, राजस्थान निरन्तर दो वर्षों से अग्रणी रहा है। वर्ष 1982-83 में राजस्थान को देश में सर्वोच्च दूसरा स्थान मिला था और वर्ष 1983-84 में भारत सरकार ने राजस्थान राज्य को सर्वोच्च स्थान पर माना है। वर्ष 1984-85 में राज्य सरकार ने अपनी क्रियान्विति के स्तर में और सुधार लाने के प्रयत्न किये हैं। योजना आयोग ने जनवरी, 1985 में प्राप्त समीक्षा में राजस्थान राज्य को बीस सूत्रों की क्रियान्विति में अन्य राज्यों की तुलना में सर्वोत्तम माना है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जनवरी, 1985 तक कई सूत्रों में इस वर्ष के लक्ष्य पूरे किये जा चुके है तथा कई सूत्रों में निर्धारित लक्ष्यों से कहीं अधिक उपलब्धियां हो चुकी हैं। इनमें सीलिंग से प्राप्त भूमि का आबंटन बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास, अनुसूचित जनजाति के परिवारों का कल्याण, ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भू-खण्ड आबटन, गन्दी बस्ती सुधार, पम्प सैटों का ऊर्जीकरण, वृक्षारोपण एवं बायोगैस तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना उल्लेखनीय है। यह भी सन्तोष का विषय है कि इस वर्ष की अधिकतर सूत्रों की उपलब्धियां गत वर्ष की उपलब्धियों के अनुपात में कहीं अधिक हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि इस वर्ष भी 20सूत्री कार्यक्रम में राज्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। मुझे यह कहते हुए भी प्रसन्नता है कि जनता ने इस कार्य में अपना पूरा योगदान दिया है और इसकी सफल क्रियान्विति में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाई है।

आज हम ऐसे समय में मिल रहे हैं, जब छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त होकर सातवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने वाली है। छठी पंचवर्षीय योजना का आकार योजना आयोग द्वारा 2,025 करोड़ रुपये का स्वीकृत किया गया था जिसके मुकाबले अग्रिम योजना सहायता सहित लगभग 2,128 करोड़ रुपये का व्यय होने की सम्भावना है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 'नैट डोमेस्टिक प्रोडक्ट' 1970-71 के मूल्यों के आधार पर वर्ष 1979-80 में 1,722 करोड़ से बढ़कर वर्ष 1983-84 में 2,341 करोड़ रुपये का हो गया था और इस प्रकार वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत की रही। इस योजना काल में कृषि के आधारभूत आदानों के उपयोग में भी वृद्धि हुई और फलस्वरूप वर्ष 1983-84 तक खाद्यान्न उत्पादन में 91.71 प्रतिशत,

तिलहन उत्पादन में 282.07 प्रतिशत, कपास में 19 63 प्रतिशत और गन्ने के उत्पादन में 28.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रसार कार्यक्रम के माध्यम से टेक्नोलोजी को प्रयोगशाला से खेत में लाया गया। फलस्वरूप प्रादान प्रबन्ध में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। सिंचाई के लिए अधिक पानी उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन का आधार व्यापक हुआ है। वर्ष 1979-80 के मुकाबले वर्ष 1984-85 तक सिंचाई क्षमता में लगभग 20.54 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। सिंचाई के लिए पानी के अधिकतम उपयोग हेतु जल संसाधन निगम की स्थापना की गई है। ऊर्जा के विकास के आधारभूत ढांचे में प्रसार के फलस्वरूप ऊर्जा की उपलब्धि जो कि 1979-80 में 1,026 मेगावाट थी वह बढ़कर 1985 में 1,738 मेगावाट होने की संभावना है। समन्वित सहायता एवं सुविधायें दिये जाने के फलस्वरूप उद्योगों का भी विकास हुआ है। वर्ष 1979 की तुलना में 1984 के अन्त तक उद्योगों के पंजीकरण में लगभग 34 प्रतिशत वृद्धि हुई है और लगभग 35 प्रतिशत अधिक रोजगार उपलब्ध हुआ है। वर्ष 1984 के अन्त तक पंजीकृत कारखाने (फैक्ट्रीज) में 1,95,000 मजदूरों को रोजाना नियोजित किया जा रहा है। राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम के सहयोग से कृत्रिम धागे, इलेक्ट्रोनिक्स एवं ट्रकों के चेसिस बनाने के कारखाने राज्य में लगे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि छठी पंचवर्षीय योजना काल में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण पूर्ण किया गया तथा दूसरे चरण का कार्य भी द्रुतगति से चल रहा है। माही परियोजना का कार्य भी प्रायः पूरा कर लिया गया है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल प्रवाह प्रारम्भ हो गया है, उन क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों में भी काफी प्रगति हुई है। कोटा ताप बिजलीघर की पहली इकाई इसी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि है।

अब सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने दिशा दिए निर्देश हैं कि विकास, समानता, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन; स्वावलम्बन और उत्पादन तथा कार्य कुशलता में वृद्धि योजना के आधारभूत संसाधन होने चाहिए। राष्ट्रीय उद्देश्य के परिपेक्ष्य में राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में योजना आयोग से सक्रिय रूप से विचार-विमर्श जारी है तथा इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में छठी योजना के अन्तर्गत निष्पादित किये गये कार्यों को और आगे बढ़ाए जाने के अतिरिक्त कई नए कार्यक्रम एवं परियोजनाएं प्रारम्भ की जाएंगी। तदनुसार खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई साधनों का विकास, इन्दिरा गांधी नहर को पूरा करवाना तथा सिंचित क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों को व्यापक रूप स निष्पादित करना, ऊर्जा के वितरण तथा उत्पादन में बढ़ोतरी, बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना; समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, यातायात के साधनों में और अधिक व्यापकता लाना, स्कूली तथा तकनीकी शिक्षा का व्यापक विकास, स्वास्थ्य संसाधनों में वृद्धि, राजकीय कार्यों का आधुननिकी-

करण, आवासीय सुविधाओं आदि के प्रसार को अधिक महत्व दिया गया है।

इस वर्ष राज्य के कई भागों और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का काफी अभाव रहा। मानसून जुलाई में देर से शुरू हुआ और जुलाई के अन्त से लम्बे अन्तराल में वर्षा नहीं हुई। उसके बाद फसल में दाना पड़ने के समय वांछित वर्षा नहीं हुई या अपर्याप्त रही। उपरोक्त कारणों से इस वर्ष 123.5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुआई के लक्ष्य के मुकाबले 94.3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुआई हो पाई।

इस वर्ष खरीफ में 42 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य रखा गया था परंतु लगभग 24 लाख टन खरीफ खाद्यान्न होने का अनुमान है। कई क्षेत्रों में वर्षा की कमी तथा भाखरा व व्यास परियोजनाओं में भी इस वर्ष काफी कम पानी एकत्रित होने के कारण रबी फसल पर भी कई स्थानों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। रबी में 56.5 लाख हैक्टेयर भूमि पर बुआई होने के अनुमान के मुकाबले केवल 50.8 लाख हैक्टेयर भूमि पर बुआई हो पाई है। वैसे एक ओर जबकि सिंचाई हेतु पानी की कमी के कारण अनाज के अन्तर्गत 15 प्रतिशत क्षेत्रफल में कमी आई है, दूसरी ओर तिलहन के अन्तर्गत 20 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल में बुआई हुई है। उत्पादन के स्तर को बनाये रखने के लिए खरीफ तथा रबी दोनों ही फसलों के लिए विशेष आदान पखवाड़े सारे राज्य में आयोजित किये गये थे जिनके माध्यम से किसानों को समय पर तथा निकटतम केन्द्रों द्वारा पर्याप्त मात्रा में कृषि हेतु समस्त संसाधन तथा आदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी।

इन सब प्रयासों के फलस्वरूप इस वर्ष व्यापक सूखे की स्थिति होते हुए भी 2 लाख 25 हजार टन रासायनिक खाद एवं 2 लाख 45 हजार राइजोबियम कल्चर का वितरण किया गया जो गत वर्षों में वितरित मात्रा से अधिक है। लघु एवं सीमान्त कृषकों की सहायतार्थ दलहन एवं तिलहन प्रत्येक के 37 हजार मिनिकिट्स, बीज एवं उर्वरकों के, वितरित किये गये। अन्य प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत खरीफ मौसम में 68 हजार तथा रबी में 1 लाख 10 हजार मिनिकिट्स वितरित किये गये।

शुष्क खेती को उन्नत तथा वैज्ञानिक तरीके से किसान करें, इस हेतु इस वर्ष सुनियोजित प्रबन्ध किये तथा पहली बार शिविरों के माध्यम से पैकेज आफ प्रेक्टिसेज के द्वारा 89,000 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया। कृषि विस्तार कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर विश्व बैंक से विस्तृत रूप से विचार-विमर्श कर एक नया समझौता किया गया जिसके अन्तर्गत न केवल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई है अपितु 6 नये जिलों को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है, जिससे कि इस कार्यक्रम द्वारा राज्य के 24 जिलों के कृषकों को लाभ प्राप्त हो सकेगा।

जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, इस वर्ष कम व असामयिक वर्षा होने के कारण खरीफ की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बुआई में कमी के साथ ही कुछ जिलों में कमजोर फसल होने के फलस्वरूप राज्य के 37,504 ग्रामों में से 6,017 ग्राम अभाव

Page No.50

ग्रस्त घोषित किये गये हैं। अभावग्रस्त घोषित गांवों में चालू भू राजस्व की वसूली सितम्बर, 1985 तक स्थगित करदी गई है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु 329.15 लाख रुपयों का आवंटन कर दिया गया है। पेयजल की व्यवस्था हेतु उपलब्ध 215 ट्रक टैंकर्स का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा रहा है। नागौर व बाड़मेर जिलों मे पियाई की व्यवस्था की गई है तथा विभिन्न पेयजल योजनाओं के विस्तार, नवीनीकरण आदि के कार्य भी चालू किये जा चुके हैं। लोगों को जीवन-यापन के साधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, खेतिहर मजदूर रोजगार गारन्टी कार्यक्रम एवं विभिन्न योजनान्तर्गत कार्य चालू किये गये हैं। फरवरी के द्वितीय पखवाडे में औसतन 2,67,882 श्रमिक राज्य मे विभिन्न निर्माण कार्यों में लगे हुए थे।

राज्य का कृषि विकास केवल मानसून पर निर्भर न रहे तथा उपयुक्त क्षेत्रों में सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर वर्ष में दो या अधिक फसलें की जा सकें, इसके लिए सिंचाई के साधनों में बढ़ोतरी करना अति आवश्यक है।

वर्ष 1979–80 तक राज्य में 17.73 लाख हैक्टेयर भूमि में प्रवाहीय सिंचाई क्षमता प्राप्त करली गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में वृहद्, मध्यम व लघु सिंचाई परियोजनाओं से 2.91 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई क्षमता उपलब्ध की गई है। चालू वर्ष में इन्दिरा गांधी नहर के अलावा 38,500 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूर्ण होने की आशा है। इसमें 15 हजार हैक्टेयर पर सिंचाई क्षमता माही बजाज सागर परियोजना से उपलब्ध होगी। अगले वर्ष इस परियोजना से 31,500 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। बीसलपुर वृहद् परियोजना और पांच मध्यम परियोजनाओं के लिये वित्तीय प्रावधान किया गया है। जाखम वृहद् परियोजना, 13 मध्यम परियोजनाओं और 20 आधुनिकीकरण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें से कोठ्यारी और हरिश्चन्द्र सागर मध्यम परियोजनाएं 1985–86 तक पूरी होने की आशा है। लघु परियोजनाओं पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है और इस वर्ष में 1667 छोटी परियोजनाओं का एक मास्टर प्लान मंजूर किया जा चुका है। इस मास्टर प्लान में से 928 परियोजनाएं विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई हैं, जिनका निर्माण कार्य जारी है।

इन्दिरागांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत मार्च, 1984 तक 6.81 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा चुकी थी। चालू वर्ष में 35 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने,का अनुमानहै। मुख्य नहर का काम 383 किलोमीटर तक पूरा किया जाकर जल प्रवाह चालू किया गया है। नहर के शेष भाग अर्थात् 445 किलोमीटर तक में काम तेजी से प्रगति पर है और शेष कार्य को 1985–86 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरे चरण में 5 लिफ्ट योजनाओं के प्रारम्भिक कार्य भी इस वर्ष प्रारम्भ किये गये हैं।

सिंचाई के साधनों में और अधिक वृद्धि

करने हेतु प्रवाहीय सिंचाई के साथ-साथ भूजल का उपयोग भी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 300 नलकूपों व 2,327 नये कुओं का निर्माण हुआ, 1,698 डीजल के व 14,045 विद्युत् के पम्प सैट लगवाए गए व 1,108 कुओं को गहरा कराया गया। फलस्वरूप भूमिगत जल पर आधारित सिंचित क्षेत्र में लगभग 19 हजार हैक्टेयर वृद्धि हुई है। भूजल के विदोहन के लिए साबी, बनास नदी बेसिन के तहत अलवर के 4 नदी बेसिन तथा भीलवाड़ा के 5 नदी बेसिन क्षेत्रों में विस्तृत भूजल सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। मरु विकास कार्यक्रम के तहत जैसलमेर, सीकर, झुंझुनूं जिलों में विस्तृत भूजल सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाकर बीकानेर व गंगानगर जिलों में प्रारम्भ किया जा रहा है।

सिंचाई क्षमता के पूर्ण एवं सुनियोजित उपयोग हेतु सिंचित क्षेत्र के विकास के कार्यक्रम को अपनाना भी अति आवश्यक है। इस समय सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम चम्बल, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना में चालू है। चम्बल क्षेत्र में पहला चरण प्रायः पूरा हो चुका है। 10 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में बारा बन्दी किये जाने का भी लक्ष्य है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में इस वर्ष दिसम्बर के अन्त तक 22,700 हैक्टेयर भूमि पर पक्के खालों का निर्माण किया जा चुका है। इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र विकास का व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है तथा चेष्टा की जा रही है कि इस कार्यक्रम के निष्पादन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त की जाय। माही बजाज सागर परियोजना में 15 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने की योजना थी जो कि प्रायः पूर्ण कर ली गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में अस्सी, पांचना, परबन लिफ्ट, जाखम व सोमकागदर परियोजनाओं में भी खेतों के विकास के लिए ओ. एफ. डी. कार्यक्रम लिये जाने का प्रस्ताव है।

जन सामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहकारिता का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि के क्षेत्र में विपणन की व्यवस्था के अतिरिक्त विशेष रूप से आदान उपलब्ध कराने के क्रम में अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था में सहकारी संस्थाओं की अहम् भूमिका है। इस हेतु अधिक से अधिक ग्रामीण कृषक परिवारों को सहकारिता के क्षेत्र में लाने हेतु किये गये प्रयासों के फलस्वरूप राज्य के 99 प्रतिशत गांव और 85 प्रतिशत परिवार सहकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जा चुके हैं। चालू वर्ष के अन्त तक 90 प्रतिशत परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पकालीन ऋण वितरण एवं वसूली की अनियमितताओं की जांच व मौके पर ही राहत पहुँचाने की दृष्टि से 1 सितम्बर से 15 अक्टूबर, 1984 तक गांवों में मजमा-आम लगाकर इस वर्ष विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के अन्तर्गत सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत 55.50 लाख रुपये के 5,211 मामले मौके पर निर्णीत किये गये।

27,617 नये सदस्य बनाये गये, 4,22,548 सदस्यों को नई पासबुकें दी गई, 4,20,254 सदस्यों की पुरानी पासबुकें पूर्ण करवाई गई तथा 61,633 मध्यकालीन ऋणों का भौतिक सत्यापन कराया गया जिससे सहकारी आन्दोलन के प्रति लोगों में आस्था जगी और सहकारी संस्थाओं को अपनी कमियों की जानकारी हुई तथा उन्हें काम करने की शैली में सुधार करने का अवसर मिला।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता प्राप्त सहकारी गोदाम निर्माण परियोजना के अन्तर्गत 2,828 गोदाम बनाने के लक्ष्य के मुकाबले 2,246 गोदाम पूर्ण हो चुके हैं, 443 गोदाम निर्माणाधीन हैं तथा 139 गोदामों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। इससे गांवों में कृषि आदानों का भण्डारण संभव हो गया है, ताकि किसानों को आवश्यक आदान समय पर उपलब्ध हो सके। उपज के वैज्ञानिक रूप से भण्डारण से उसे सुरक्षित रखा जा सकता है और विपणन में भी सुविधा रहती है।

सहकारिता के माध्यम से केशोरायपाटन शुगर मिल, गुलाबपुरा, हनुमानगढ़ व गंगापुर (भीलवाड़ा) में स्पिनिंग मिल्स एवं गंगानगर आयल व प्रोसेसिंग मिल, गजसिंहपुर स्थापित की जा चुकी है। आबिद व शाहपुरा में कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स तथा माण्डलगढ़ ऊपरमाल किसान सहकारी वनस्पति मिल्स के परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जा चुके हैं। एन. सी. डी सी. योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से कोटा में 32 करोड़ रुपये की लागत से सोयाबीन पर आधारित एक बड़ा कारखाना राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ द्वारा लगाया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा सहकारी संस्था अधिनियम में संशोधन कर दो हजार रुपये तक के अल्पकालीन ऋणों, जिसमें परिवर्तित मध्यमकालीन ऋण भी शामिल है, के लिए मूलधन से जो अधिक ब्याज की रकम है उसे माफ करने का निर्णय लिया गया एवं तदनुसार संशोधन किया गया है। इस निर्णय से गरीब कृषकों को काफी राहत मिलेगी।

कई सहकारी संस्थाओं में चुनाव करवाने अपेक्षित हैं। इस सम्बन्ध में गत वर्ष विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया था परन्तु लोकसभा तथा शीघ्र ही तत्पश्चात् विधान सभाओं के चुनाव निश्चित हो जाने के फलस्वरूप इसे स्थगित करना पड़ा। लोकतांत्रिक संस्थाओं के समय पर चुनाव करवाने में राज्य सरकार विश्वास रखती है तथा अब अतिशीघ्र ही सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार उन सभी सहकारी संस्थाओं में, जिनमें चुनाव अवधिपार हो गये हैं, चुनाव करवाने की मंशा रखती है।

यह हर्ष का विषय है कि 90 प्रतिशत से अधिक सहकारी संस्थाओं का यथासमय अंकेक्षण करवा लिया गया है तथा शेष कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि महत्वपूर्ण तथा शीर्ष संस्थाओं में अंकेक्षण का कार्य चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स द्वारा करवाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही

ऐसी संस्थाओं में समयवर्ती अंकेक्षण करवाने का कार्य भी हाथ में लिया गया है। अंकेक्षण के सम्बन्ध में समुचित आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं तथा इनका संकलन कर छपवाया जा रहा है ताकि यह कार्य भविष्य में सुनियोजित रूप से किया जा सके।

गरीबी को दूर करने तथा बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने के कार्यक्रमों को राज्य सरकार बहुत महत्व देती है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मूलतः इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे हर्ष है कि इस कार्यक्रम के तहत पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो लक्ष्य भारत सरकार द्वारा इस राज्य के लिए निर्धारित किये गये थे वे न केवल पूर्ण कर लेने की आशा है अपितु इससे काफी अधिक उपलब्धि कर लेने का अनुमान है। इस प्रकार 1 लाख 42 हजार परिवारों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के मुकाबले इस वर्ष 1 लाख 50 हजार गरीब परिवार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित होंगे।

दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को और तीव्र गति से चलाने के उद्देश्य से जो 6 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य की योजना में इस वर्ष रखा गया था उसे बढ़ाकर 9 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई सफलता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने भी अपने बराबर के अंशदान को 775 लाख तक बढ़ा दिया है। इस प्रकार इस वर्ष माह फरवरी तक 77 लाख मानव दिवसों का रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया गया जबकि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष के लिए 61 लाख मानव दिवस का लक्ष्य ही निर्धारित किया गया था।

इस कड़ी में तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक भूमिहीन परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन रोजगार दिलाने की व्यवस्था है। इससे रोजगार दिलाने के साथ-साथ गांव के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने हेतु सड़कों, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, भू-संरक्षण, भूमि सुधार, सामाजिक वानिकी आदि के कार्यक्रम किये जा रहे हैं। इस विनियोजन से इस वर्ष लगभग 56 लाख मानव दिवस का रोजगार फरवरी तक सृजित किया गया तथा वर्ष के अन्त तक निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्राप्ति की आशा है।

गांव में ईंधन के वैकल्पिक साधन के रूप में बायोगैस की बढ़ती हुई लोकप्रियता हम सबके लिए खुशी की बात है। वर्ष 1984–85 में चार हजार बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 6,500 संयंत्र फरवरी माह तक लगाये गये हैं एवं मार्च तक 8,000 संयंत्र लगाये जाने का अनुमान है।

बंधुआ मजदूरों की खोज, मुक्ति और पुनर्वास बीस सूत्री कार्यक्रम का अंग है। चालू वित्तीय वर्ष में 402 बंधुआ मजदूरों को चिन्हित कर उन्हें मुक्त कराया गया है एवं उन्हें पुनर्वासित भी किया गया है, जबकि लक्ष्य 275 मजदूरों का था।

विकास के काम में वित्तीय संस्थाएं भी भागीदारी हों इसके लिए लघु सिंचाई, फल विकास, फव्वारों से सिंचाई, जलोत्थान योजनाएं तथा पशुपालन, डेयरी विकास, उन्नत कृषि यंत्र आदि की योजनाएं भी बनाई गई हैं एवं क्रियान्वित की जा रही हैं जिससे काफी आर्थिक लाभ पहुंच रहा है। वर्ष 1984-85 में लगभग 38.75 करोड़ रुपये की योजनाएं वित्तीय सहायता की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई।

खेती की उपज का पूरा लाभ काश्तकारों को मिल सके और बिचौलियों के शोषण से उन्हें बचाया जा सके, इसके लिए 19 नये मण्डी प्रांगण निर्माणाधीन हैं इसके साथ ही 133 प्राथमिक ग्रामीण मण्डियों का विकास कार्य इस वर्ष पूर्ण किया गया एवं 162 का कार्य चल रहा है। कृषकों को अपनी उपज मण्डी तक लाने हेतु वर्तमान में 410 किलोमीटर सम्पर्क सड़क का कार्य मण्डी समितियों के कोष से निर्माणाधीन है। खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण हेतु 4 नई एगमार्क प्रयोगशालाएं स्थापित करने की स्वीकृति भी इस वर्ष दी गई है।

पशुधन का राज्य की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। चालू वर्ष में राज्य में 242 पशु औषधालय खोले गये तथा 23 गौशालाओं को गौ-संवर्धन हेतु सहायता दी जा रही है। भेड़ों के निष्क्रमण को रोकने हेतु 139 चरागाह विकसित किये गये हैं। भेड़ों की नस्ल सुधारने हेतु 100 रेम्बुलेट नर/मादा भेड़ें अमेरिका से आयात की गईं।

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में डेयरी विकास कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है। इस कार्यक्रम को सुनियोजित तथा व्यापक रूप से निष्पादित करने हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन की स्थापना की गई थी। डेयरी विकास के कार्यक्रम इस समय सघन रूप से 22 जिलों में चलाये जा रहे हैं। विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रतिदिन दुग्ध एकत्रीकरण की औसत मात्रा 3 लाख 9 हजार लीटर प्रतिदिन के मुकाबले इस वर्ष माह जनवरी तक औसतन 4 लाख 85 हजार लीटर तक दुग्ध एकत्रित किया गया, जो कि एक कीर्तिमान है। डेयरी सहकारी समितियों की सदस्यता इस वर्ष 1,66,924 से बढ़कर 1,82,721 हो गई है तथा दुग्ध एकत्रित करने के अतिरिक्त इन समितियों के द्वारा वैज्ञानिक पशु आहार का वितरण तथा पशु चिकित्सा के कार्य भी सम्पादित करवाये जा रहे हैं।

अब तक राज्य में 7 डेयरी संयंत्र व 18 अवशीतन केन्द्र कार्यशील थे। इस वर्ष कोटा व हनुमानगढ़ में निर्माणाधीन डेयरी संयंत्र कार्यशील हो जायेंगे तथा जोधपुर डेयरी संयंत्र की क्षमता का विस्तार कार्य भी पूर्ण हो जायेगा। नोहर, सूरतगढ़, फलौदी, डूंगरगढ़, छतरगढ़, बज्जू व फालना में अवशीतन केन्द्र निर्माणाधीन हैं।

इसी वर्ष टैट्रापैक दूध का उत्पादन एवं विपणन भी प्रारम्भ किया गया एवं 4 हजार लीटर टैट्रापैक दूध प्रतिदिन बिक रहा है।

राज्य में इस समय लगभग 9 प्रतिशत भू-भाग वन विभाग के अधीन है जिसमें भी आधे से कम भाग में ही वन हैं। राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित 33 प्रतिशत के

लक्ष्य पक पहुंचने के लिए वन क्षेत्रों का विस्तार करना बहुत आवश्यक है। जबकि छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में प्रति-वर्ष अधिकतम 1 करोड़ 10 लाख वृक्ष रोपित किये जाते थे, विशेष प्रयत्नों द्वारा इसमें अभूतपूर्व वृद्धि की गई है तथा गत वर्ष में 2 करोड़ 86 लाख वृक्ष राज्य में लगाये गये। इस वर्ष 6 करोड़ 20 लाख वृक्षारोपण के लक्ष्य के विपरीत 8 करोड़ 31 लाख वृक्षारोपित किये गये हैं।

गत तीन वर्षों से कन्दरा क्षेत्रों तथा वनस्पति विहीन पहाड़ियों में वायुयान द्वारा बीजारोपण का कार्य करवाया जा रहा है। इस वर्ष साढ़े चार हजार हैक्टेयर भूमि पर बीजारोपण कराया गया जिसके फलस्वरूप लगभग 1 करोड़ 75 लाख से अधिक पौधे अंकुरित हुए। इन्दिरा गांधी नहर की वितरिकाओं एवं सड़कों के किनारे व्यापक रूप से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है तथा इस वर्ष 2,690 रो किलो मीटर पर कार्य हो रहा है। एक विशेष पर्यावरण योजना के अन्तर्गत इस नहर के दूसरे चरण में प्रादेशिक सेना की सहायता से 300 हैक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण तथा 1,150 हैक्टेयर भूमि में चारा हेतु घास का रोपण करवाया गया है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में हरियाली लाने हेतु टीबा स्थिरीकरण करवाने का कार्य भी व्यापक रूप से लिया गया है। छठी योजना में गत वर्ष तक 41,451 हैक्टेयर भूमि पर यह कार्य किया गया तथा इस वर्ष 11,155 हैक्टेयर भूमि में टीबा स्थिरीकरण एवं चरागाह विकास का कार्य कराया जा रहा है।

आदिवासियों तथा लघु कृषकों के आर्थिक उत्थान हेतु विशेष वृक्षारोपण योजनाओं को सम्पादित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 450 आदिवासी परिवारों तथा लघु कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

सामाजिक वानिकी की एक वृहत् योजना तैयार की गई है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से अगले वर्ष से निष्पादित की जायेगी।

पंचायती राज की स्थापना के 2 वर्ष अक्टूबर, 84 को पूरे हो चुके हैं। इस संदर्भ में एक अखिल भारतीय पंचायत राज रजत जयन्ती समारोह मनाया गया जिसका उद्घाटन देश की महान् नेता स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किया गया। राज्य सरकार पंचायत राज संस्थाओं को अधिक सशक्त करना चाहती है। प्रौढ़ शिक्षा का कार्य पंचायत समितियों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है जो वे जिला परिषदों की देखरेख में निष्पादित करेंगी। जिला परिषद् एवं पंचायत समितियां जिन राजकीय भवनों में हैं उनको हस्तांतरित कर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के शेष कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु सप्तम् पंचवर्षीय योजना में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। जो पंचायतें चुंगी के अलावा कोई नया कर लगायेंगी या कर की दर विकास के लिए बढ़ायेंगी उन्हें अतिरिक्त कर आय का 50 प्रतिशत राज्य द्वारा अनुदान दिया जावेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 हजार रुपये से बढ़ा कर 50 हजार रुपये तक की लागत के कार्यों को प्रशास-

निक स्वीकृति देने के अधिकार जिला परिषदों को दिये गये हैं। पंचायत राज संस्थाओं के कर्मचारीगण को चिकित्सा संबंधी व्यय के लिए भी राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये प्रति वर्ष देने का निर्णय लिया है। इस वर्ष इस प्रयोजन के लिए 50 लाख रुपये की राशि पंचायत समितियों को हस्तांतरित कर दी गई है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के पहले चरण में भू-आवंटन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा 92,495 कृषकों को 10.58 लाख एकड़ सिंचित एवं 7.48 लाख एकड़ असिंचित भूमि अब तक आवंटित की जा चुकी है जिसमें 28,269 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कृषक सम्मिलित हैं। दूसरे चरण में भू-आवंटन का काम चालू किया जा चुका है और लगभग 84 हजार एकड़ सिंचित व 78 हजार एकड़ असिंचित भूमि का आवंटन किया जा चुका है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में संशोधन कर वर्ष 1955 के पहले के काश्तकारों को 25 बीघा तक सिंचित भूमि निःशुल्क देने और सीलिंग सीमा तक शेष भूमि आरक्षित मूल्य पर खातेदारी अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पटवार मण्डल एवं भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डलों का पुनर्गठन किया जा चुका है तथा राज्य में अब 9,022 पटवार मण्डल व 1,002 भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डल बनाये गये हैं। राजस्व कार्य को त्वरित गति से संपादित करने के अभियान में 15,111 लोगों को खातेदारी अधिकार दिये गये, 60,164 नामांतरकरण निपटाये गये तथा 21,223 अतिक्रमणों का नियमन द्वारा निपटारा किया गया। जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने की दृष्टि से इस वर्ष नाथद्वारा व सागवाड़ा में दो नये उपखण्ड स्थापित किये गये हैं।

राज्य में सीलिंग कानून के अन्तर्गत इस वर्ष अवाप्त की गई भूमि में से 12,000 एकड़ भूमि वितरण किये जाने का लक्ष्य था जिसके मुकाबले माह फरवरी, 1985 तक 23,676.84 एकड़ भूमि का वितरण किया जा चुका है। अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत राज्य में अनुसूचित जाति के 3,145 परिवारों को भूमि आवंटन से लाभान्वित किया गया है।

लघु उद्योग के क्षेत्र में चालू वर्ष में 10,000 लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के पंजीयन के विरुद्ध माह दिसम्बर, 1984 तक 7,939 लघु एवं ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों का पंजीयन किया गया एवं आगामी वर्ष 1985-86 में 12,000 लघु एवं ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों का पंजीयन प्रस्तावित है। दिसम्बर, 1984 तक राज्य में कुल 1,09,020 लघु एवं ग्रामीण औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं, जिनमें 417.14 करोड़ रुपये का विनियोजन करवा कर 4.42 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ कराये जा रहे हैं।

राज्य में औद्योगीकरण के कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को उद्योग, व्यापार एवं सेवा के क्षेत्रों में वित्त,

कनीकी सहायता, प्रशिक्षण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा कर सेवा नियोजन हेतु पिछले वर्ष लगभग 15 हजार युवाओं को लाभान्वित किया गया था और इस वर्ष भी इतने ही युवकों को लाभान्वित किये जाने की संभावना है।

राज्य में हाथ कर्घा के समुचित विकास एवं इस व्यवसाय में लगे गरीब परिवारों के आर्थिक विकास हेतु इस वर्ष राज्य में हाथ कर्घा निगम की स्थापना की गई है। हाथ कर्घा क्षेत्र में नये कर्घे लगाकर तथा पुराने कर्घों के सक्रियकरण के माध्यम से समाज के कमजोर तबके को रोजगार दिलाया जा रहा है। हाथ कर्घों पर तैयार किये गये कपड़ों को प्रोसेस करने के लिए हाथ कर्घा विकास निगम द्वारा एक प्रोसेस हाउस की स्थापना की जा रही है।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा परम्परागत उद्योगों के अतिरिक्त सूक्ष्म तकनीकी वाले उद्योगों तथा सीमेंट प्लान्ट, टैक्सटाइल प्रोसेसिंग हाउस आदि को वित्त-पोषण प्रारम्भ किया गया है। बन्द इकाइयों को पुनर्जीवित करने की दृष्टि से प्रारम्भ की गई परियोजनाओं को स्वीकार करने से चालू वर्ष में दिसम्बर, 1984 तक 87 इकाइयों को पुनर्जीवित किया गया। चालू वर्ष में दिसम्बर, 1984 तक 36 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृति एवं 27 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये।

राजस्थान राज्य में औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा अब तक 160 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना कर प्रदेश के सभी प्रमुख क्षमतावान नगरों एवं कस्बों में उद्योग स्थापना के अच्छे अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। चालू वर्ष में दिसम्बर, 1984 तक रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के लिये 2,313 एकड़ भूमि अवाप्त की गई एवं 6,343 भूखण्ड विकसित किये गये। इस अवधि में 349 नये उद्योगों ने अपना उत्पादन आरम्भ कर दिया है। सिरोही में 7 नये औद्योगिक क्षेत्र एवं जैसलमेर में एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।

चालू वर्ष में दिसम्बर, 1984 तक निगम द्वारा वृहद् एवं मध्यम उद्योगों को 18.71 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। रीको के माध्यम से अब तक 140 उद्योगों में उत्पादन आरंभ कराया जा चुका है।

उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों को उद्योगपतियों की दया पर न रहना पड़े इस हेतु राज्य सरकार ने ऐसे कारखानों में जहां 300 या इससे अधिक श्रमिक नियोजित हैं, बिना राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के, छंटनी, ले-आफ तथा क्लोजर करने पर पाबन्दी लगा दी है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन की दर में दिनांक 16-1-85 से 9 से 11 रुपये प्रतिदिन बढ़ोतरी कर दी गई है। असंगठित श्रमिकों को संगठित करने की भारत सरकार की योजना के तहत 80 पंचायत समितियों में ग्रामीण संगठकों की नियुक्ति की जा रही है।

राज्य में खनिज उत्पादन बढ़ाये जाने से नये खनिज आधारित उद्योगों की

स्थापना के आसार बने हैं। खनिजों के विकास और अनुसंधान कार्य को गति देने के लिए खनिज विकास एवं अनुसंधान मण्डल की स्थापना का निर्णय लिया गया है। राज्य में धात्विक व अधात्विक खनिज, इमारती पत्थर आदि के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप गत वर्ष के 198 करोड़ रुपये के खनिज उत्पादन के मुकाबले इस वर्ष 238 करोड़ रुपये का उत्पादन सम्भावित है। खनिज राजस्व से भी वर्ष 1983-84 के मुकाबले वर्ष 1984-85 में लगभग 6.50 करोड़ अधिक प्राप्ति होने की संभावना है।

खनिज सर्वेक्षण कार्य में बीकानेर में गुढ़ा व हीरा की ढाणी क्षेत्रों में लिग्नाइट का अन्वेषण कार्य किया गया। गुड़ा क्षेत्र में लगभग 50 लाख टन लिग्नाइट के भण्डार अनुमानित किये गये हैं। उदयपुर, अलवर व सिरोही जिलों में तांबा खनिज, टौंक जिले के सिरस तथा जयपुर के देवपुरा एवं दूदू के निकट टंगस्टन और जालौर जिले के जालरा खुर्द गांव के पास फ्लोराइट खनिज प्राप्त होने के संकेत मिले हैं। चूना पत्थर, सीमेंट तथा उच्च श्रेणी के भण्डारों को ज्ञात करने हेतु जैसलमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही व पाली में कार्य प्रगति पर है।

कम विद्युत उपलब्धि के कारण कुछ वर्षों से राज्य लगातार बिजली की कमी का सामना कर रहा है। यद्यपि गांधी सागर में पिछले सालों के मुकाबले इस साल काफी ज्यादा पानी आया है, लेकिन भाखरा और पोंग जलाशयों में कम मात्रा में पानी आया, अत: उन स्रोतों से राज्य को कम बिजली उपलब्ध हो रही है। इस कमी को पूरा करने के भरसक प्रयत्न किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष पूर्व वर्ष के मुकाबले स्थिति अधिक नियन्त्रण में रही है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि राजस्थान अणु बिजलीघर की पहली इकाई करीब तीन साल के बाद अब 1 फरवरी, 1985 से चालू हो गई है। कोटा ताप बिजलीघर जो 1983 में चालू किया गया था 1984 में भी अच्छा काम करता रहा मुझे यह भी कहते हुए खुशी है कि देश में इस क्षमता के ताप बिजलीघरों में इसका कार्य उत्तम श्रेणी का माना गया है। माही जल विद्युत परियोजना पर 2 इकाइयां लगाने का काम भी अन्तिम चरण में है एवं कोटा थर्मल के दूसरे चरण के निर्माण का काम प्रगति पर है।

मांगलरोल, सूरतगढ़, चारणवाला, पूंगल, जाखम व अनूपगढ़ लघु एवं सूक्ष्म पन विद्युत गृहों तथा रामगढ़ में गैस पर आधारित तापीय विद्युत गृह का काम स्वीकृत कर दिया गया है।

कोटा तापीय परियोजना में 210 मेगावाट की एक और इकाई लगाने तथा सूरतगढ़, मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़, धौलपुर में 210 मेगावाट की दो से तीन तापीय ऊर्जा की इकाइयां प्रति स्टेशन लगाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी जा चुकी है। इसके अलावा कोटा के निकट अणुशक्ति की अतिरिक्त दो इकाइयां लगाने के बारे में भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है तथा अतिशीघ्र औपचारिक निर्णय लिये जाने

की आशा है।

पलाना के अतिरिक्त कापूरडी (बाड़मेर) के निकट लिग्नाइट पर आधारित एक बडी क्षमता के ताप बिजलीघर के निर्माण हेतु भी योजना आयोग को निवेदन किया गया है। इसी प्रकार सवाईमाधोपुर में गैस पर आधारित एक बड़े ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार से पेशकश जारी है।

वर्ष 1984-85 में भारत सरकार द्वारा इंगित 11,000 कुओं के ऊर्जीकरण के लक्ष्यों के विपरीत फरवरी के अन्त तक 14,000 से अधिक कुओं का ऊर्जीकरण हो गया है। इसी प्रकार 1,100 गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्यों के विपरीत फरवरी के अन्त तक 983 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। इसके अतिरिक्त शिड्यूल्ड कास्ट कम्पोनेन्ट प्लान के अधीन 2,000 के लक्ष्य के विपरीत फरवरी के अन्त तक 1,543 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण और 1,500 कुओं के ऊर्जीकरण के लक्ष्य के विपरीत 1,300 से अधिक कुओं का ऊर्जीकरण किया जा चुका है।

पीने का पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की एक अहम् जिम्मेदारी है। राज्य के लगभग 24 हजार समस्याग्रस्त गांवों में से 17,730 गांवों में पीने के पानी का कम से कम एक स्रोत 1983-84 के अन्त तक उपलब्ध करा दिया गया था। चालू वर्ष में 2,500 गांवों में पीने के पानी की सुविधा दी जाने के लक्ष्य के विपरीत अब तक 2,359 समस्याग्रस्त व 327 गैर समस्याग्रस्त गांव लाभान्वित किये जाकर लक्ष्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

सड़कों के योजनानुसार विस्तार के लिए राज्य के सभी 27 जिलों के मास्टर प्लान तैयार कर लिये गये हैं। इसमें सभी पंचायतों को सड़क से जोड़ने, 1971 की जनगणना के अनुसार एक हजार से अधिक आबादी के सभी गांवों को सड़क से जोड़ने पर्यटन, धार्मिक खनिज, रेलवे स्टेशन और औद्योगिक महत्व की सड़कों तथा अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कों का निर्माण प्रमुख है। इस प्लान के तहत सभी सड़कों का निर्माण अगली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कराये जाने का राज्य सरकार का लक्ष्य है।

वर्ष 1984-85 में सड़कों के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपये राज्य योजना में व्यय किये जायेंगे जिससे 600 कि. मी. नयी सड़कों का निर्माण किया जावेगा तथा 1,500 से अधिक की आबादी के 90 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा।

भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 229 सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर हैं जिन पर वर्ष 1984-85 में सात करोड़ रुपये व्यय किये जावेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.30 करोड़ रुपये इस वर्ष व्यय किये जावेंगे जिसके अन्तर्गत 438 सड़क निर्माण कार्य जारी हैं।

इस वर्ष जयपुर-आगरा राष्ट्रीय उच्च मार्ग–11 पर कानोता के पास ढूंढ नदी पर पुल तथा बांसवाड़ा-रतलाम सड़क पर माही नदी पर पुल का निर्माण पूर्ण कर

आवागमन के लिए खोल दिया गया है।

आवासन मण्डल द्वारा चालू वर्ष में 12,500 आवास निर्माण किये जाने का लक्ष्य है, जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 7,000 तथा अल्प आय वर्ग के 2,000 आवास होंगे जो कि कुल का 72 प्रतिशत है। इन समस्त मकानों के निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपयों का पूंजीगत व्यय होगा। 3,173 आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के रजिस्टर्ड आवेदकों को आवंटित किये गये हैं। इस प्रकार मण्डल द्वारा 31 मार्च, 1981 तक के अधिकतर अनुसूचित जाति एवं जन जाति के पंजीकृत आवेदकों को आवास आवंटन कर दिये गये हैं।

पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित कच्ची बस्तियों का सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। छठी पंचवर्षीय योजना काल में 1,67,000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विपरीत वर्ष 1983-84 तक 1,87,658 की उपलब्धि की जाकर लक्ष्यों से अधिक प्राप्ति की गई है। वर्ष 1984-85 में माह दिसम्बर, 1984 तक 80,365 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

गांवों में निःशुल्क भू-आवंटन के पात्र पाये गये सभी व्यक्तियों को इसी वर्ष आवासीय भू-खण्ड आवंटन कर देने का निर्णय लिया गया था। इसकी क्रियान्विति में इस वर्ष के 30,000 भू-खण्ड आवंटन के लक्ष्य के विपरीत दिसम्बर, 1984 तक 39,806 भू-खण्ड आबंटित किये जा चुके हैं। आवास गृह और निर्माण सुविधा जुटाने में हुड़को योजना, एल. आई. सी., जी. आई. सी. एवं व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्रबन्ध करवाकर इसी वर्ष में दिसम्बर तक 20,500 मकान बनवाये जा चुके हैं।

गांवों में शौचालयों की किल्लत को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण शौचालय संकुलों का निर्माण कराने की योजना है। वर्ष 1984-85 में 10 जिलों की पंचायत समितियों में यह कार्य किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु 750 रुपये अनुदान के साथ-साथ 1,000 रुपये की सहायता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से दी जाने का निर्णय किया गया है।

आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु राज्य में 13 हजार से अधिक उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन तेल, खाद्य तेल, नियंत्रित कपड़ा, सापट कोक तथा लेवी सीमेन्ट सुचारू रूप से वितरित कराया जा रहा है ताकि इन आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य व मात्रा में उपलब्धि हो सके। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तहत वर्ष 1984-85 में 492 नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 188 ग्रामीण क्षेत्र में; 279 शहरी क्षेत्र में तथा 25 भ्रमणशील दुकानें हैं। इस लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 455 से अधिक दुकानें खोली जा चुकी हैं।

राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था पर निरन्तर सजगता से निगरानी रखती है तथा इन्हें उचित मूल्य पर विक्रय हेतु उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत अप्रेल, 1984 से दिसम्बर, 1984 तक 3,430 छापे मारे गये । छापों के दौरान 13,49,965.50 रुपये का माल पकड़ा गया । इस कार्यवाही के दौरान 63 व्यक्तियों का चालान प्रस्तुत कर 33 व्यापारियों को सजा दिलाई गई । इसके अतिरिक्त 1,290 व्यक्तियों को विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत दण्डित किया ।

गत वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने हेतु 146 क्रय केन्द्र खोले गये जिन पर 2,16,645 मै. टन गेहूं की खरीद की गई जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से काफी अधिक है, जबकि भारत सरकार द्वारा 1.50 लाख मै. टन लक्ष्य रखा गया था । चावल की खरीद भी अब तक 42 हजार मै. टन से अधिक की जा चुकी है ।

शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आदान है । राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास हेतु सुनियोजित प्रयास किये गये हैं । शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिए चालू वर्ष में 6 से 14 आयु वर्ग के 55.10 लाख छात्र-छात्राओं का नामांकन किया गया है । यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि वर्ष 1983-84 में छात्राओं के नामांकन में अर्जित विशेष उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को एक करोड़ का पुरस्कार दिया है । साथ ही चालू वर्ष में 200 की आबादी वाले गांव, मंजरे (कस्बे) में तथा आदिवासी और रेगिस्तानी इलाकों के ऐसे गांवों में जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हों वहां 150 की आबादी पर प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं । महिला शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु 400 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 100 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है । स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से 4 नये बी. एड. कालेज भी खोले गये हैं ताकि राज्य में अधिक प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हो सकें।

राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.30 लाख प्रौढ़ों को शिक्षित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है । यह खुशी की बात है कि वर्ष 1983-84 में राज्य सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा में अच्छा कार्य किये जाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने पच्चीस लाख रुपये का पारितोषिक भी दिया है । राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार हुए हैं । खास तौर से पिछड़े तबके के लोगों को ऊंची शिक्षा सुलभ कराने के लिए राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर एवं सिरोही में नये विषय प्रारम्भ किये गये हैं ।

7वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में 2 नये इन्जीनियरिंग कालेज खोलने का प्राव-

Page No.62

धान किया गया है। कोटा इन्जीनियरिंग कालेज की सीटें 90 से बढ़ाकर 180 कर दी गई हैं। इन्जिनियरिंग डिप्लोमाधारियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भरतपुर पोलीटेक्निक को फिर चालू कर दिया गया है। भीलवाड़ा का पोलीटेक्निक भी चालू हो गया है। चालू वर्ष में 6 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, करौली, टोंक और धौलपुर में चालू किये गये हैं।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वर्ष 32 नये कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर एवं 100 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 50 ग्रामीण डिस्पेंसरियों को सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने एवं 472 उप केन्द्रों को क्रमोन्नत कर उच्चीकृत उप केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। 700 नये उप केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति भी दी गई। 5 स्थानों पर 50 शय्याओं वाले सेटेलाइट अस्पताल स्थापित किये गये हैं। नागौर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जालोर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, झुन्झुनू एवं चूरू के राजकीय चिकित्सालयों में शय्याओं की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई जबकि जैसलमेर में शय्याओं की संख्या 50 से 100 करके इन सभी चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया गया।

राज्य में नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए भीलवाड़ा, पाली, श्रीगंगानगर, जयपुर एवं अजमेर में 50 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता वाले जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये जबकि सीकर स्थित प्रशिक्षण केन्द्र की क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई।

इसके अतिरिक्त विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत 31,346 क्षय रोगियों, 1,765 कुष्ठ रोगियों को खोजकर उनका उपचार किया जा रहा है एवं अन्धापन निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत 29 हजार मोतियाबिन्द के आपरेशन किये गये।

छठी पंचवर्षीय योजना में 5 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था जिनके पेटे वर्ष 1983-84 के अंत तक लगभग 4 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया था। इस वर्ष 1 लाख 12 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। अनुसूचित जाति के परिवारों को अपने परम्परागत धन्धों के अलावा दूसरे धन्धों में लगाने के लिए अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए चालू वर्ष में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर में वृद्धि की गई है। इसमें लड़कियों के लिये बढ़ोतरी विशेष उल्लेखनीय है। नये छात्रावास खोलने और वर्तमान छात्रावासों में सीटें बढ़ाने के निर्णय से भी अधिक छात्रों को शिक्षा सुविधा मिल सकेगी। निराश्रित बालगृहों की इकाइयों के संचालन के लिए स्वयसेवी संस्थाओं को अनुदान में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कामकाजी महि-

लाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए 10 छात्रावास निर्माणाधीन हैं। निराश्रित विधवाओं को पेन्शन देने के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा को हटा दिया गया है और अब किसी भी उम्र की निराश्रित विधवा पेन्शन पाने की हकदार हो गई है।

बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं के लिए 45 एकीकृत बाल विकास परियोजनायें क्रियाशील हैं। इनमें 3.50 लाख बच्चों एवं महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर विस्तार प्रस्तावित है।

सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण पुनर्वास और रोजगार आदि के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। 3,400 भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को जीविकोपार्जन हेतु 18 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। 1,818 भूतपूर्व सैनिकों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर नियोजन दिलाया गया है। 1,192 भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को 5 लाख रुपये छात्रवृत्ति के स्वीकृत किये गये हैं तथा 301 भूतपूर्व सैनिकों को 39.27 लाख रुपयों के ऋण विभिन्न बैंकों से दिलाये गये हैं। 18 भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं स्वनियोजन के अन्तर्गत क्षेत्रीय रोड परमिट दिलाये गये हैं। इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में 50 हजार बीघा भूमि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखी गई थी तथा आबंटन का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

वर्तमान में राज्य में लगभग 34 प्रतिशत सड़क मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। वर्ष 1984-85 में 27 नये मार्ग खोले गये तथा 11 मार्गों के परमिटों के स्कोप तथा मार्गों की लम्बाई में वृद्धि की गई। इसके फलस्वरूप अधिक गांवों को बस सेवा से जोड़ा जा सका है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने गत वर्ष कई प्रकार के सुधार कर एक करोड़ रुपये से अधिक का लाभ अर्जित किया है। वर्ष 1984 85 में निगम द्वारा लगभग तीन करोड़ पचास लाख रुपये का लाभ अर्जित करने की सम्भावना है। भारत सरकार ने निगम द्वारा घाटे की स्थिति से उभारने के प्रयासों की सराहना की है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि निगम के इन प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने निगम को 'राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार' प्रदान कर सम्मानित किया है।

अब यह चेष्टा की जा रही है कि इन सभी मार्गों में पर्याप्त यात्री सुविधायें उपलब्ध कराई जावें। इस हेतु राष्ट्रीय मार्गों पर आवश्यकतानुसार अधिक बसें चलाई जाना, बसों के अच्छे रख-रखाव के लिए ससाधनों में तथा बस आगारों व बस स्टेशनों में वृद्धि किया जाना सम्मिलित है। राष्ट्रीयकरण की नीति के अनुसार मार्गों के राष्ट्रीयकरण में सुनियोजित ढंग से क्रमशः वृद्धि की जायेगी। परन्तु यह वृद्धि उसी अनुपात में की जायेगी जिस अनुपात में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जा सकेंगे। फिलहाल कुछ और मार्गों के राष्ट्रीयकरण के मामले विचाराधीन हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में यदि इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो जावेगा तो राष्ट्रीयकृत मार्गों का प्रतिशत लगभग 40 हो जायेगा।

निजी वाहन स्वामियों के द्वारा राज्य में लगभग 4,500 बसें 1,250 मार्गों पर संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि यात्रियों को और अधिक सुविधायें उपलब्ध कराई जायें जिसके लिए प्रत्येक मार्ग पर निर्धारित संख्या में बसें निर्धारित समय सारिणी पर चलें तथा जिन मार्गों पर बसों में अधिक भीड़ रहती है वहां सर्वेक्षण कराकर बसों की संख्या में वृद्धि की जाय और वाहन यांत्रिकी रूप से ठीक एवं आरामदेह हों। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो लोकभार वाहन राज्य में बाहर से आते हैं उन्हें राज्य में प्रवेश करने पर निरीक्षण कर नियमानुसार चैक स्लिप जारी की जाय ताकि उन्हें बार-बार राजमार्गों पर चैक करने की आवश्यकता नहीं पड़े।

पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य में मेलों एवं त्यौहारों के आयोजन के साथ-साथ राज्य से बाहर छाया चित्र प्रदर्शनियों एवं राजस्थान कालिंग के कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं। पर्यटन स्थलों का विकास भी किया जा रहा है साथ ही पर्यटकों को आवास एवं परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराने में राजस्थान पर्यटन विकास निगम अपना योगदान दे रहा है। इन सबके फलस्वरूप राज्य में आने वाले स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1983-84 के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग को पर्यटन विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए प्रशांत क्षेत्रीय अभिकर्त्ता संगठन (पाटा) द्वारा प्रशंसा प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

जनता को देश में होने वाली गतिविधियों से परिचित कराने के लिए जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, गंगानगर, भीलवाड़ा, खेतड़ी, जैसलमेर और बाड़मेर में टी. वी. रिले केन्द्र स्थापित किये गये हैं। राज्य में टेलीविजन सेवा विस्तार के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक उपयोग हेतु 2,040 टेलीविजन सैट्स उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। साथ ही जयपुर में टेलीविजन स्टूडियो के नये भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और भारत सरकार द्वारा आवश्यक उपकरणों की खरीद के आदेश दिये जा चुके हैं।

राज्य की सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर को संरक्षित रखने की दृष्टि से कला एवं संस्कृति विभाग ने जैसलमेर में नवीन संग्रहालय स्थापित किया। पाली में एक अन्य संग्रहालय का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। राज्य अभिलेखागार द्वारा भरतपुर एवं अजमेर में दो नई शाखायें स्थापित की गई। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान द्वारा एक नई शाखा भरतपुर में स्थापित की जा रही है। इसके अतिरिक्त ललित कला अकादमी द्वारा राज्य के कलाकारों की कलाकृतियां सुदूर दक्षिणवर्ती राज्यों में विशेष प्रदर्शनी वाहन द्वारा ले जाई गई। साथ ही संगीत नाटक अकादमी द्वारा लोक कलाकारों के दल अन्तर्राज्यीय समारोहों में भाग लेने हेतु भेजे गये तथा अन्य राज्यों के सांस्कृतिक दल आमन्त्रित किये गये। दिल्ली प्रशासन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ड्रामा एवं नृत्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व

अभिनेत्री के पुरस्कार राज्य के कलाकारों ने प्राप्त किये तथा पश्चिमी राजस्थान के कतिपय लोक गायक अन्तर्राष्ट्रीय संगीत सभाओं में आमन्त्रित किये गये।

युवा वर्ष के तत्ववाधान में राजस्थान में जिला स्तर, क्षेत्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर खेल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रतियोगितायें करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्र तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल विकास के लिए नये ग्रामीण खेल केन्द्र स्थापित किये जायेंगे तथा उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

चूंकि विधान सभा का यह सत्र अल्पकालीन होगा, अतः इसमें अधिक विधायी कार्य लेना सम्भव नहीं है। राज्य का वर्ष 1985-86 हेतु बजट इस सत्र में प्रस्तुत करते हुए इस वित्तीय वर्ष के पहले चार माहों के लिए "वोट आन अकाउन्ट" प्राप्त करना प्रस्तावित है। इसी दौरान नई सरकार वर्ष के शेष भाग हेतु अतिरिक्त संसाधनों के जुटाव के लिए अपने सम्पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर उन पर आधारित नए योजना कार्यक्रमों के प्रस्ताव अगले सत्र में प्रस्तुत करेगी। वर्तमान सत्र में अनुपूरक अनुदान की मांगें और 'अप्रोप्रियेशन बिल' भी आपके विचारार्थ प्रस्तुत होंगे।

राज्य में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों में से कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के विषय में मैंने संक्षिप्त जानकारी सदन के माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत की। राज्य की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित करने तथा राजस्थान को राष्ट्र के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के प्रयासों में माननीय सदस्यों एवं जनता की पूरी लगन और निष्ठा के साथ भागीदारी बनी रहेगी इसकी मुझे पूर्ण आशा है। मुझे विश्वास है कि यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्य गण अपने उत्साह और अनुभव से सदन की परम्पराओं को और भी गौरवान्वित करेंगे और राज्य के हित में अपना पूरा सहयोग देते रहेंगे।

जय हिन्द!